रजि० सं० डी-(डी)-73 REGISTERED NO. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17, 1977 (भाद्रपद 26, 1899)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 1977 (BHADRA 26, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली 110011, दिनांक 30 जुलाई, 1977

सं० ए० 12019/1/75-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित सहायक अधीक्षकों (हालरिथ) को, सलाहकार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1-8-77 के पूर्वाह्न से पांच मास की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (त० सं०) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

1. श्री बी० आर० गुप्ता।
2. श्री एम० एम० शर्मा।
3. श्री जगदीश लाल।

आर० एम० अहलुवालिया
उप सचिव,
कृते सलाहकार
संघलोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 अगस्त 1977

सं० ए० 38013/2/76-प्रशासन III—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रित सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री एस० बैनर्जी को राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक विभाग के का० ज्ञापन सं० 33/12/73 स्था० (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार 31-8-1977 के अपराह्न से वार्द्धक्य निवर्तन आयु हो जाने के कारण सरकारी सेवा से निवृत्ति की सहर्ष अनुमति प्रदान की गई है।

प्रभात नाथ मुखर्जी
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 2/28/77 प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थायी सहायक श्री एच० एस०

राठौर को आयोग में 16 अगस्त, 1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्री निवास
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1977

सं० 2/31/77-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री के० आर० वेणुगोपाल, आई० ए० एस०, को 17 अगस्त, 1977, की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थानापन्न रूप से विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त करते हैं।

चन्द्रामणि नारायणास्वामी
निदेशक
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० ए-19036/1/77-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री एल० बापेश्वर राव, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद को दिनांक 29-7-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में प्रोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 27 अगस्त 1977

सं० एन-2/73-प्रशासन-5—शाह जांच आयोग में नियुक्ति हो जाने पर, श्री एन० सी० वर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं दिनांक 21-7-77 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए शाह आयोग को सौंप दी गई हैं।

सं० सी-6/73-प्रशासन-5—अपर-मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात, नई दिल्ली के रूप में नियुक्ति हो जाने पर, श्री सी० एम० राधाकृष्णन नायर, भारतीय पुलिस सेवा (आंध्र प्रदेश) को दिनांक 12-8-77 के अपराह्न में पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली के पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया।

पी० एस० निगम
प्रशासन अधिकारी (स्था०)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अगस्त 1977

सं० पी० सात-2/76-स्थापना—निम्नलिखित के० रि० पु० दल के कार्यालय अधीक्षकों को अनुभाग अधिकारियों के पदों पर महानिदेशालय के० रि० पु० दल, नई दिल्ली में अगले आदेश जारी होने तक 4-8-77 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है :—

1. श्री कृपाल सिंह
2. श्री बी० पी० मनोचा
3. श्री उमराव सिंह
4. श्री मोहन धलवानी

2. श्री बी० डी० सरीन जो कि पहले से तदर्थ रूप में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी हैं, उनको अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित रूप से 2-8-77 से पदोन्नत किया जाता है।

3. निम्नलिखित अधिकारी तदर्थ रूप में अनुभाग अधिकारियों के पदों पर स्थानापन्न किए गए थे, उनको कार्यालय अधीक्षक के पद पर 4-8-77 (पूर्वाह्न) से प्रत्यावर्तित किया जाता है :—

1. श्री आर० एन० अग्रवाल
2. श्री एम० आर० लखेरा
3. श्री बी० एस० राना

दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० ओ० दो० 152/77-स्था०—राष्ट्रपति ले० कर्नल एस० एम० माथुर (अवकाश प्राप्त) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर आगामी आदेश जारी होने तक पुनर्नियुक्त पर नियुक्त करते हैं।

2 ले० कर्नल माथुर ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की 2 सिगनल बटालियन हैदराबाद में दिनांक 6-8-77 के पूर्वाह्न से सहायक कमाण्डेन्ट के पद का कार्यभार सम्भाला।

सं० 0-II-1069/77-स्थापना—राष्ट्रपति डाक्टर (कुमारी) कौशल्या चन्द्राभानजी थेमस्कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रुप-II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमान्डर) के पद पर उनको 30-7-1977 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशा०)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110024, दिनांक 18 अगस्त 1977

सं० ई-32015 (1)/4/77-कार्मिक—त्याग पत्र मंजूर हो जाने पर ले० कर्नल जी० सी० एस० बिष्ट ने 27 जुलाई 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार के कमांडेन्ट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई-39013 (3)/7/77-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एल० पी० सिंह को, तदर्थ आधार पर के० औ० सु० ब० यूनिट, बोकारो इस्पात लिमिटेड, बोकारो का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेन्ट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 25 जुलाई 1977 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० ई-32015 (2)/7/76-कार्मिक—कलकत्ता से स्थानान्तरित होने पर, कर्नल एम० श्रीवास्तव ने 7 मई 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब०, कलकत्ता, के ग्रुप कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई-38013 (3)/9/77 कार्मिक—होशंगाबाद से स्थानांतरित होने पर, श्री इशाम सिंह ने 4 जुलाई 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट भिलाई इस्पात लिमिटेड भिलाई के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई-38013 (3)/9/77-कार्मिक—होशंगाबाद में स्थानान्तरित होने पर, श्री बी० पी० जोगेवर, सहायक कमांडेंट, के० औ० सु० ब० यूनिट भिलाई इस्पात लिमिटेड भिलाई ने 4 जुलाई 1977 के अपराह्न में उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 12 जुलाई 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० ई-16014 (3)/1/77-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षक कैलाश चन्द्र बहल ने 15 अगस्त 1977 के पूर्वाह्न में उ० व प० क्षेत्र नई दिल्ली के प्रशिक्षण शिविर में सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई-16015 (6)/7/77-कार्मिक—भारतीय तकनीकी संस्थान कानपुर की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, श्री चेतराम सिंह, सहायक कमांडेंट, के० औ० सु० ब० यूनिट, ए० एन० आई० एम० सी० ओ० कानपुर ने 5 अगस्त 1977 के अपराह्न से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई-38013 (3)/7/77-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री ए० एन० त्रिवेदी को 2 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से के० औ० सु० ब० यूनिट बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो का सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं, और उन्होंने उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से सम्भाल लिया।

सं० ई-38013 (3)/10/77-कार्मिक—झरिया से स्थानान्तरित होने पर, श्री ओ० पी० जेटली ने 21 जुलाई 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बी० सी० सी० एल० झरिया के सहायक कमांडेन्ट पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 27 जुलाई 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बोकारो इस्पात लिमिटेड, बोकारो में उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई-38013 (3)/10/77-कार्मिक—बोकारो से स्थानान्तरित होने पर, श्री आर० के० मुकर्जी, सहायक कमान्डेंट, के० औ० सु० ब० यूनिट बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो ने 20 जुलाई 1977 के अपराह्न से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

लि० सि० बिष्ट
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जुलाई 1977

सं० पी०/के० (8)-प्रशा०-1—श्री लाल कृष्ण, उप निदेशक जनगणना कार्य (तदर्थ) को, उनकी छुट्टी की समाप्ति पर, उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में उसी पद पर, तारीख 23 जुलाई, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए तैनात किया जाता है।

श्री लाल कृष्ण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

रा० भ० चारी
महापंजीकार और
पदेन संयुक्त सचिव

वित्त आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 7 एफ० सी० 9 (18)-ए०/77—वित्त मंत्रालय के संवर्ग के सी० एस० एस० एस० के ग्रेड 'सी०' स्टेनोग्राफर, श्री एस० भास्करन को, वाणिज्य मन्त्रालय से उनका तबादला होने पर 18 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक 650-1040 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर सातवें वित्त आयोग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक नियुक्त किया गया है।

पी० एल० सकरवाल
अवर सचिव

कार्यालय महालेखाकार, आंध्र प्रदेश-I

हैदराबाद, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० ई० बी०-I/8-132/77-78/212—श्री टी० लक्ष्मीनारायण, लेखा अधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश-I में सेवा से निवृत्त हुए दिनांक 31-7-1977 अपराह्न।

सं० ई० बी० I/8-312/77-78/214—महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री एम० सांबसिव राव को महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतन-मान रु० 840-40-1000 ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 17-8-1977 के अपराह्न से जब तक आगे आदेश न दिए जायें, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है।

सं० ई० बी० I/8-312/77-78/216—महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री डी० पाकिनायन के महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतन-मान रु० 840-40-1000 ई० बी० 40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 19-8-77 के पूर्वाह्न से जब तक आगे आदेश न दिए जायें, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है।

एस० आर० मुखर्जी
प्रवर उप-महालेखाकार (प्रशासन)
सहायक महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार, महाराष्ट्र-I

बम्बई-400020, दिनांक 20 अगस्त 1977

सं० प्रशासन-I/आयएडी/नि० मि०/91/सीएफबी/आरके/11—श्री सी० एस० बालसुब्रह्मण्यम, इस कार्यालय के स्थायी लेखा अधिकारी और श्री आर० कृष्णामूर्ति, इस कार्यालय के स्थानापन्न लेखा अधिकारी को 'फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड' में स्थायी रूप से समा लेने के फलस्वरूप, सेवा से दिनांक 1 सितम्बर 1976 (पूर्वाह्न) से और 1 अक्तूबर 1976 (पूर्वाह्न) से उन्होंने क्रमशः त्यागपत्र दिया ऐसा समझा जायेगा।

2. भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के पत्र सं० 1815/जीई-II/62-77 दिनांक 30 जुलाई, 1977 में निर्धारित शर्तों पर सर्वश्री सी० एस० बालसुब्रह्मण्य और आर० कृष्णामूर्ति को 'फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड' में दिनांक 1 सितम्बर 1976 (पूर्वाह्न) से और 1 अक्तूबर 1976 (पूर्वाह्न) से क्रमशः स्थायी रूप से समा लेने की अपनी मंजूरी प्रदान करते हैं।

सं० प्रशासन-I/आयएडी/नि० मि०/120/व्हीजीबी/12—श्री व्ही० जी० भट, इस कार्यालय के स्थायी लेखा अधिकारी को 'हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड' में स्थायी रूप से समा लेने के फलस्वरूप, सेवासे दिनांक 24 मई 1976 (पूर्वाह्न) से, उन्होंने त्यागपत्र दिया ऐसा समझा जायेगा।

2. भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियन्त्रक तथा महा-लेखापरीक्षक के पत्र सं० 1821/जीई-II/62-77 दिनांक 30 जुलाई 1977 में निर्धारित शर्तों पर श्री व्ही० जी० भट को, 'हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड' में दिनांक 24 मई 1976 (पूर्वाह्न) से स्थायी रूप से समा लेने की अपनी मंजूरी प्रदान करते हैं।

श्रीमती र० कृष्णन् कुट्टी
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

महालेखाकार कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर, पिन-751001, दिनांक 12 जुलाई 1977

सं० प्रशासन-1-29-(कन्)-1374 (13)—महालेखाकार उड़ीसा, ने इस कार्यालय के स्थानापन्न रूप से काम कर रहे नीचे लिखे गए लेखा अधिकारियों, की प्रत्येक के पार्श्व में लिखी गयी तारीख से लेखा अधिकारी के काडर पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है।

उनका स्थायी होना उनके वरिष्ठों के दावे पर, जो अभी तक स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हुए हैं और जिनके लिए स्थान सुरक्षित रखा गया है; कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।

(1) श्री के० त्रिपाठी	1-3-77
(2) श्री एन० के० पाट	1-5-77

आर० एस० शर्मा
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय निदेशक, लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली, दिनांक 1977

सं० 2621/ए० प्रशासन/130/77—निदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं अधिनस्थ लेखा सेवा के स्थायी श्री ए० एस० रंगानाथन को वरिष्ठ उप निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, पश्चिमी कमान, मेरठ, में दिनांक 20-7-77 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न, लेखा परीक्षा अधिकारी, के रूप में, अगले आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० बी० दास भौमिक
वरिष्ठ उपनिदेशक
लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं

रक्षा मन्त्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-700016, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 42/77/जी०—आधिक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्तकर, श्री के० सी० भट्टाचार्या स्थानापन्न अफसर सुपर-वाइजर (मौलिक एवं स्थायी अधीक्षक) दिनांक 31 मई, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 43/77/जी०—आधिक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर, श्री आर० दे गुप्ता, स्थानापन्न टैकनिकल स्टाफ अफसर (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 30 अप्रैल, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 44/77/जी०—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थायी सहायक प्रबन्धक के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से आगामी आदेश न होने तक नियुक्त करते हैं —

1. श्री रविन्द्र जय कृष्ण भाटिकर	—1 जून, 1977 (पूर्वाह्न)
2. श्री विरेश्वर बन्दोपाध्याय	—11 मार्च, 1977 (पूर्वाह्न)
3. श्री उमेश चन्द्र बहल	—1 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न)
4. श्री निलय कुमार दे	—30 मई, 1977 —(पूर्वाह्न)
5. श्री स्वपन कुमार बन्दोपाध्याय	—27 जून, 1977 —(पूर्वाह्न)
6. श्री रजत कांति सिन्हा	—11 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न)
7. श्री विजय चन्द्र सिंह राठौरे	—2 मार्च, 1977 (पूर्वाह्न)
8. श्री मदन मोहन बारिक	—14 मार्च, 1977 (पूर्वाह्न)
9. श्री गजेन्द्र नाथ रे	—11 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न)

एम० पी० आर० पिल्लाय,
सहायक महानिदेशक

श्रम मन्त्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 9 सितम्बर 1977

शुद्धि-पत्र

सं० 23/3/77/सी० पी० आई०—भारत के राजपत्र भाग III, खण्ड 1, सप्ताहान्त अगस्त 13, 1977 के पृष्ठ 3546 पर मुद्रित श्रम ब्यूरो के औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दर्शित अशुद्धियों के लिए निम्न शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है :

मद संख्या	भाग	पृष्ठ	छपा हुआ	शुद्ध
औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	अगस्त 13, 1977	3546	शिमला-171004 दिनांक फरवरी, 1977 सं० 23/3/77-सी० पी० आई० दिसम्बर 1977 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	शिमला-171004 दिनांक अगस्त, 1977 सं० 23/3/77-सी०पी०आई० जून, 1977 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

त्रिभुवन सिंह
उप-निदेशक

वाणिज्य मन्त्रालय

उप-मुख्य-नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक 31 मई 1977

लाईसेंस रद्द करने का आदेश

मि० सं० एस-70/एस० एम० आई०/एस० आई०—22/ए० एम०—76/हैदरा०—सर्वश्री सैनीटैक्स, 11-5-109/3, रेड हिल्स हैदराबाद आ० प्र० को 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/1824077/सी०/एक्सएक्स/60/डब्ल्यू/41-42, दिनांक 23-8-1976 प्रदान किया गया था। अब उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि बिल्कुल उपयोग में लाए बिना ही मूल प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

2 आवेदक ने आयात व्यापार नियन्त्रण नियम एवं क्रियाविधि पुस्तक 1977-78 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ी जाने वाली कंडिका 320 के अनुसार अपेक्षित अपने तर्क के समर्थन में स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति खो गई/अस्थानास्थ हो गई है।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/1824077/सी/एक्सएक्स/60/डब्ल्यू/41-42, दिनांक 23-8-1976 की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

4 अब आवेदक को आयात व्यापार नियन्त्रण नियम एवं क्रियाविधि पुस्तक 1977-78 की कंडिका 320 के अनुसार उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के मामले पर विचार किया जाएगा।

आर० सी० एस० मेनन
उप-मुख्य नियन्त्रक
आयात-निर्यात

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 1977

आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण

स्थापना

सं० 6/1223/77-प्रशा० (राज०)/6067—राष्ट्रपति, श्री सी० एम० राधाकृष्णन नायर, भारतीय पुलिस सेवा को जो पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप-महानिरीक्षक थे, 12 अगस्त 1977 के दोपहर बाद से, अगला आदेश जारी होने तक, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में अपर मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं।

का० वें० शेषाद्रि
मुख्य नियन्त्रक

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1977

सं० 6/1179/77-प्रशासन (राजपत्रित)/6161—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात एतद्द्वारा श्री हीरा लाल अग्रवाल को 30 जून, 1977 के अपराह्न से और आगे आदेश होने तक, इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात श्रेणी-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री अग्रवाल, नियन्त्रक, आयात-निर्यात के रूप में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में नियमानुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

वी० के० मेहता
उप-मुख्य नियन्त्रक

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन-1)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1977

सं० प्र०-1/1 (590)—पूर्ति तथा निपटान निदेशक, कलकत्ता के कार्यालय में स्थायी अवर प्रगति अधिकारी और स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री जी० एन० मित्रा दिनांक 31-7-1977 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

कीरत सिंह,
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

इस्पात और खान मन्त्रालय
(खान विभाग)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
कलकत्ता-700016, दिनांक 23 अगस्त 1977

सं० 4391/बी/2222 (एस० पी० बी०)/19ए—श्री सत्य प्रकाश भारतीय को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रति माह 650 रु० के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 4 जुलाई, 1977 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

बी० के० एस० भरतन
महा निदेशक

कलकत्ता-700016, दिनांक 24 अगस्त 1977

सं० 4407/बी 2181 (1)VI/ 9 बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) श्री ए० वी० पेशावे को सहायक रसायनज्ञ के रूप में, उसी विभाग में, वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, आगामी आदेश होने तक 18-5-1977 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जा रहा है।

एस० बी० पी० आयंगार
उप-महानिदेशक
कृते महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर, दिनांक अगस्त 1977

सं० ए-19012/52/75-स्था० ए०—राष्ट्रपति, श्री चुरामणि पाल को 20 जुलाई, 1977 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में कनिष्ठ खनन भूवैज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एन० सी० रणधीर,
कार्यालय अध्यक्ष

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय
देहरादून, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 5263/594—श्री किशन सिंह, तकनीकी सहायक मानचित्र पुनरुत्पादन (सेलेक्शन ग्रेड) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक प्रबन्धक, मानचित्र पुनरुत्पादन (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप बी) के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में 19 जुलाई, 1977 से अगले आदेश दिए जाने तक संख्या 105 (दिल्ली) प्रिंटिंग ग्रुप (हवाई सर्वेक्षण निदेशालय) नई दिल्ली में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

के० एल० खोसला
मेजर-जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

आकाशवाणी महानिदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1977

सं० 10/63/77-स्था०-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री आर० के० मालवीय को स्थानापन्न रूप से दिनांक 30-5-77 से क्षेत्रीय इंजीनियर (उत्तर), आकाशवाणी, नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 अगस्त 1977

सं० 10/57/77-एस-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एस० पी० शाशीनाथ को, दिनांक 27-6-1977 से आकाशवाणी भद्रावती में, स्थानापन्न रूप से, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

सं० 10/73/77-एस-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एन० शंकरदसन को, आकाशवाणी, भोपाल में, दिनांक 13-7-1977 से, स्थानापन्न रूप से, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

सं० 10/77/77-एस-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री ए० सी० राजारमण को, दिनांक 15-7-1977 से, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर में, स्थानापन्न रूप से, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 अगस्त 1977

सं० 10/65/77-एस-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री सरजीत सिंह को, दिनांक 25-6-77 से, हाई पावर ट्रांसमीटर, आकाशवाणी, किंग्जवे, दिल्ली में, स्थानापन्न रूप से, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

सं० 10/66/77-एस-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एच० एल० गोविन्दराजू को, दिनांक 1-7-77 से, क्षेत्रीय इंजीनियर (दक्षिण), आकाशवाणी, मद्रास में, स्थानापन्न रूप से, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

सं० 10/70/77-एस-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री सुरेश शर्मा को, दिनांक 18-5-77 से, अनुसन्धान विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में, स्थानापन्न रूप से, सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1977

सं० 5 (43)/70-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती नैलेयद शैलांगर, भूतपूर्व प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, शिलांग, को आकाशवाणी, शिलांग में, 1-8-1977 से, अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में, नियुक्त करते हैं।

सं० 5 (111)/70-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री सी० राजगोपाल, भूतपूर्व प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, हैदराबाद को, आकाशवाणी, हैदराबाद में, 3-8-1977 से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 5(8)/75-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री धीरेन्द्र मालवी, भूतपूर्व प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, पटना को आकाशवाणी, भागलपुर में, 2-8-1977 से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर, अस्थायी रूप में, नियुक्त करते हैं।

सं० 5/37/75-एस-I—महानिदेशक आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० पी० सक्सेना को, आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारण सेवा, अहमदाबाद में 19 जुलाई, 1977 से, अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (11)/76-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री प्रहलाद गारा को, आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ में, 1-8-77 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4/11/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री अनिल दिनकर कौशिक को, आकाशवाणी, पणजी में 9 अगस्त 1977 से, अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (13) 77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह अग्रवाल को, आकाशवाणी, रामपुर में 18-8-1977 से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4/65/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री मोहन लाल रैना को, रेडियो कश्मीर, श्रीनगर में, 29-7-1977 से, अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर, अस्थायी रूप में, नियुक्त करते हैं।

सं० 4/79/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती विजय एस० लिंगसुर को, आकाशवाणी, धारवाड़ में, 27-6-1977 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (84)/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री सदानन्द र० माल्लुके को, आकाशवाणी, पणजी में, 1-9-1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर, अस्थायी रूप में, नियुक्त करते हैं।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

फिल्म समारोह निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० 1/33/77-एफ० एफ० डी०—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि फिल्म समारोह निदेशालय के संकल्प संख्या 1/6/77-एफ० एफ० डी०, दिनांक 25 मार्च, 1977 में प्रकाशित राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 1977 की नियमावली के नियम 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों/प्रोड्यूसरों/निर्देशकों/आर्टिस्टों/तकनीशियनों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है, अर्थात् :—

क्रम संख्या	फिल्म का नाम व भाषा	पुरस्कार पाने वाले का नाम	पुरस्कार
1	2	3	4
		1. अखिल भारतीय पुरस्कार	
फीचर फिल्में			
1. राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार			
	मृगया (हिन्दी)	प्रोड्यूसर श्री एम० के० राजेश्वर राव, मार्फत श्री मृणाल सेन, 4-ई, मोतीलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700029	'स्वर्ण कमल' और 40,000/- रुपये (केवल चालीस हजार रु०) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री मृणाल सेन, 4-ई, मोतीलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700029	'रजत कमल' और 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
2 सर्वोत्तम निर्देशन के लिए पुरस्कार			
	पल्लवी (कन्नड़)	निर्देशक श्री पी० लंकेश, 15/24, गोविन्दप्पा रोड, बसवनगुड़ी, बंगलौर-4	'रजत कमल' और 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।

1	2	3	4
3. सर्वोत्तम स्क्रीनपले के लिए पुरस्कार			
	मंथन (हिन्दी)	स्क्रीनपले लेखक श्री विजय तेंदुलकर, कुमार हाऊसिंग सोसायटी हनुमान रोड, विल्ले पार्ले, बम्बई ।	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
4. सर्वोत्तम अभिनेता के लिए पुरस्कार			
	मृगया (हिन्दी)	अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती, 603, मार्न अपार्टमेंट्स, रुईया पार्क रोड, गांधी ग्राम, जुहू, बम्बई-400054	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
5. सर्वोत्तम अभिनेत्री के लिए पुरस्कार			
	सिला नेरंगलिल सिला मणिथार्गल (तमिल)	अभिनेत्री श्रीमती लक्ष्मी, प्लाट नं० 4-ए, सीथम्मा रोड, मद्रास-600018	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
6. सर्वोत्तम बाल अभिनेता के लिए पुरस्कार			
	चितचोर (हिन्दी)	बाल अभिनेता मास्टर राजू, 11, रहमत बाई हबीब हाऊस, रूम नं० 20, नारोजी हिल रोड नं० 2, डोंगरी, बम्बई-9	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
7. सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफी (रंगीन) के लिए पुरस्कार			
	ऋष्य शृंगा कन्नड़	कैमरामैन श्री एस० रामचन्द्र, 129 आस्टेयर्स, 7वां मेन चौथा ब्लाक, जयनगर, बंगलौर ।	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
8. सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफी (सादी) के लिए पुरस्कार			
	मोहिनी आट्टम (मलयालम)	कैमरामैन श्री निवास, मार्फत कविता आर्ट पिक्चर्स, 4799 प्रभानगर, मद्रास-600040	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
9. सर्वोत्तम साउन्ड रिकार्डिंग के लिए पुरस्कार			
	भक्त कन्नप्पा (तेलुगु)	साऊन्ड रिकार्डिस्ट श्री एस० पी० रामनाथन, प्रसाद स्टूडियोज, मद्रास-600026	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार ।
10. सर्वोत्तम संपादन के लिए पुरस्कार			
	सिरी सिरी मुव्वा (तेलुगु)	सम्पादक श्री के० बाबूराव, 24, रामलिंगेश्वर, कोइल स्ट्रीट, मद्रास-18	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए का नकद पुरस्कार ।
11. सर्वोत्तम संगीत निर्देशक के लिए पुरस्कार			
	ऋष्य शृंगा (कन्नड़)	संगीत निर्देशक श्री बी० वी० कारन्थ, 47, 20वां क्रास, 6 ब्लाक, जयनगर, बंगलौर-560011	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार ।

1	2	3	4
12. सर्वोत्तम पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार			
चितचोर (हिन्दी)		गायक श्री येसुदास, आदर्श नगर, वोर्ली, बम्बई-25	'रजत कमल'
13. सर्वोत्तम पार्श्व गायिका के लिए पुरस्कार			
सिरी सिरी मुव्वा (तेलुगु)		गायिका श्रीमती पी० सुशीला, अशोक स्ट्रीट, अलवरपेट, मद्रास-18	'रजत कमल'
		2. प्रादेशिक पुरस्कार	
14. प्रादेशिक भाषाओं की सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार			
मंथन (हिन्दी)		प्रोड्यूसर मैसर्स श्याम बेनेगल, साहयद्री फिल्म्स, ज्योति स्टूडियो, केनेडी ब्रिज, बम्बई-400007	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री श्याम बेनेगल, 103, संगम, जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400 026	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
15. साफ़ अबी (मणिपुरी)		प्रोड्यूसर श्री जी० नारायण शर्मा, की समपट, इम्फाल	'रजत कमल' और 10,000 रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री ए० श्याम शर्मा, थंगमीबौंड, इम्फाल।	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
16. शेष श्रवण (उड़ीया)		प्रोड्यूसर मैसर्स श्री जगन्नाथ फिल्म्स, ग्रांड रोड, पुरी (कटक)	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री प्रशांत कुमार नन्दा, केशोर पुर, कटक।	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
17. मणिमजक्कम (मलयालम)		प्रोड्यूसर श्री के० पी० थौमस 'डिजाइनर्स', एम० जी० रोड, कोचीन-682011	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री पी० ए० बेकर, केयर 'डिजाइनर्स' एम० जी० रोड, कोचीन-682011	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
18. एक जे छिलो देश (बंगला)		प्रोड्यूसर श्री आर० एन० मल्होत्रा, श्री आर० के० कपूर, श्री वी० के० कपूर, 11, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-700013	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री तपन सिन्हा, 675, ब्लाक 'बी' नया अलीपुर, कलकत्ता	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।

1	2	3	4
19.	बूरूम्माडी वथुकुलु (तेलुगु)	प्रोड्यूसर आर्ट एंटरप्राइसिस, विक्रम निवास, 6423 (82-443) कुम्मारगुडा, सिकन्दराबाद-500003 निर्देशक श्री बी० एस० नारायण, 2सी, राजाराम कालोनी, कोडमबक्कम, मद्रास-600024	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार। 'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
20.	पल्लवी (कन्नड़)	प्रोड्यूसर श्री के० एस० इन्दिरा लंकेश, 15/24, गोविन्दप्पा रोड, बसवनगुडी, बंगलौर-4	'रजत कमल' और 10,000 रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
21.	पुतला घर (असमिया)	प्रोड्यूसर व निर्देशक श्री समरेन्द नारायण देव, पोस्ट आफिस मंगलदायी, असम।	'रजत कमल' और 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		3. लघु फिल्में	
22.	सर्वोत्तम शैक्षिक/शैक्षणिक फिल्म (डाकुमेंट्री)		
	मार्बिल आफ मेमोरी (अंग्रेजी)	प्रोड्यूसर फिल्म प्रभाग 24, डा० जी० देशमुख मार्ग बम्बई-26 निर्देशक श्री एन० के० ईस्सर, फिल्म प्रभाग, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-26	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार। 'रजत कमल' और 4,000/- रुपए (केवल चार हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
23.	सर्वोत्तम सामाजिक डाकुमेंटेशन फिल्म		
	पावर्टी प्रोसपेरिटी (अंग्रेजी)	प्रोड्यूसर व निर्देशक श्री मोहन वधवानी, 21, कसन्लांका, 39, कुफे परेडे, कोलाबा, बम्बई-400005	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
24.	सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक)		
	ए० न्यू वर्ल्ड आफ पावर (अंग्रेजी)	प्रोड्यूसर व निर्देशक श्री एस० सुखदेव, 14, राक हाऊस, वार्ली हिल रोड, वार्ली, बम्बई-18	'रजत कमल'
25.	सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (व्यावसायिक)		
	शूगर बीट (अंग्रेजी)	प्रोड्यूसर फिल्म प्रभाग, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026 निर्देशक श्री डी० गोतमन, फिल्म प्रभाग, 24 डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026	'रजत कमल' 'रजत कमल'

1	2	3	4
26.	सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म		
	मर्डर एट मंकी हिल (हिन्दी)	प्रोड्यूसर निदेशक, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ला कालेज रोड, पुणे-411004 निर्देशक श्री विनोद चोपड़ा, 35-ए, वजीर बाग, श्रीनगर, 190002	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार। 'रजत कमल' और 4,000/- रुपए (केवल चार हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
27.	सर्वोत्तम न्यूजरील कैमरामैन		
	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1462 (अंग्रेजी)	कैमरामैन श्री अवनाशी राम, फिल्म प्रभाग, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
28.	सर्वोत्तम भारतीय समाचार समीक्षा		
	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1459 (अंग्रेजी)	प्रोड्यूसर फिल्म प्रभाग, 24, डा० जी० देशमुख मार्ग, बम्बई-400026	'रजत कमल' और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए का नकद पुरस्कार।
		4. दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्रीमती कानन देवी, 1, रीजेंट ग्रोव, कलकत्ता-700040	'स्वर्ण कमल' और 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और एक शाल।

वी० एस० कटारा,
फिल्म निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1977

सं० ए० 12026/8/77 डी०—विभागीय पदोन्नति समिति (डी०पी०सी०) की सिफारिश पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री वी० राधाकृष्णन, व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को 16 जुलाई, 1977 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, विशाखापट्टम में तकनीकी अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

एच० एस० गोठोस्कर
औषधि नियन्त्रक (भारत)
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1977

सं० ए० 12025/29/76 (एन० एम० ई० पी०)/प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री भारत भूषण उप्पल को 30 जुलाई, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली में सहायक मलेरिया इन्जीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

सं० ए० 12025/33/76 (एच० एम० डी०) प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, ने श्री धीरेन्द्र कुमार कंवर को केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची में, 2 अगस्त 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 12025/39/76-प्रशासन-1—राष्ट्रपति ने श्री मोहम्मद इकरम को 23 जुलाई, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, दिल्ली में सहायक जन स्वास्थ्य इंजीनियर के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 12026/11/77 (एस० जे०)/प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्रीमती एम० पास्सी के छुट्टी पर चले जाने से उनकी जगह पर सफदरजंग अस्पताल में भौतिक चिकित्सक के पद पर कार्य कर रही श्रीमती स्नेह लता मित्र को उसी अस्पताल में वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक के पद पर 6 जून, 1977 पूर्वाह्न से 22 जुलाई, 1977 तक, 47 दिन की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 38013/1/77 (एच० क्यू०) प्रशासन-I—भारत सरकार बड़े दुख के साथ यह घोषित करती है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सहायक वास्तुविद्, श्री यू० एस० शम्भी का 21 जुलाई, 1977 को देहान्त हो गया है।

दिनांक 24 अगस्त 1977

शुद्धि-पत्र

सं० ए० 32014/2/77 (एस० जे०) प्रशासन-1—श्रीमती एस० पासी की सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में इस निदेशालय की, दिनांक 11-7-77 की अधिसूचना संख्या ए० 32014/2/77 (एस० जे०) प्रशासन-1 में "25 फरवरी, 1977" के स्थान पर "25 जून, 1977" पढ़ें।

सं० ए० 12026/8/77-(एन० टी० आई०) प्रशासन-1—सांख्यिकी विभाग से अपना स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप श्री के० श्रीकान्तन, उपनिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 30 मई, 1977 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर में वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 27 अगस्त, 1977

शुद्धि-पत्र

स० 17-13/75-प्रशासन-1—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के दिनांक 24 फरवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या 17-13/75-प्रशासन-1 (स्थापना-1) में "25 जनवरी, 1977" शब्दों के स्थान पर "4 मार्च, 1976" पढ़ें।

सूरज प्रकाश जिन्दल
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1977

सं० ए० 11017/2/76-के० स० स्वा० यो०-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० (श्रीमती) मधुर लता आलुवालिया को 20 जून, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता में होम्योपैथिक काय-चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

एन० एस० भाटिया
उप-निदेशक प्रशासन

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय एवम् भंडार निदेशालय

मुम्बई 400 001, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० डी० पी० एस०/23 (6)/77-प्रशा०—निदेशक, क्रय एवं भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, इस निदेशालय के निम्नलिखित भंडारपालों को उसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में, उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	अवधि	टिप्पणियां
1.	श्री एम० एम० नौटियाल	10-1-77 पूर्वाह्न से 12-2-77 अपराह्न	भंडार एकक (क्रय एवं भंडार निदेशालय) प्रोफे परियोजना, तारापुर के सहायक भंडार अधिकारी श्री बी० के० बोकिल, जिनकी नियुक्ति भंडार अधिकारी के पद पर हो गई है, के स्थान पर।
		10-5-77 पूर्वाह्न से 24-6-77 अपराह्न	सहायक भंडार अधिकारी, जिनकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है, के स्थान पर
2.	श्री एन० वाई० आरेकर	25-4-77 पूर्वाह्न से 31-5-77 अपराह्न	भंडार एकक (क्रय एवं भंडार निदेशालय) तारापुर परमाणु बिजलीघर तारापुर के सहायक भंडार अधिकारी श्री वी० पी० टिल्लू जिनकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है, के स्थान पर
3.	श्री बी० एस० शर्मा	24-4-77 पूर्वाह्न से 4-6-77 अपराह्न	भंडार एकक (क्रय एवं भंडार निदेशालय) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना, नरौरा के सहायक भंडार अधिकारी श्री वी० डी० कंडपाल, जिनकी नियुक्ति भंडार अधिकारी के पद पर हो गई है, के स्थान पर

बी० जी० कुलकर्णी
सहायक कार्मिक अधिकारी

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

कोटा, दिनांक 25 अगस्त 1977

अणुशक्ति

सं० रापविप/भर्ती/2 (11)/77/765—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर, इस परियोजना के स्थायिवत उच्च श्रेणी लिपिक और वर्तमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न कल्याण व जनसम्पर्क अधिकारी श्री के० पी० टंडन को, इसी परियोजना में स्थानापन्न रूप से जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर दिनांक 29 जुलाई, 1977 के पूर्वाह्न से अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

गोपाल सिंह,
प्रशासन अधिकारी (स्था०)

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500016, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० ए० एम० डी०-4/3/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कालम 4 में लिखी तिथि से उनमें से प्रत्येक के नाम के सामने लिखे स्थायी पद पर एतद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पद	पद जिस पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया।	स्थायीकरण की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री जी० पाल वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी० (रु० 650-1200)	वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी० (रु० 650-1200)	1-3-77	
2.	श्री पी० डी० बजाज वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी०	वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी० (रु० 650-1200)	1-3-77	
3.	श्री एम० एस० जकरिया, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी०	वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी० (रु० 650-1200)	1-3-77	
4.	श्री जी० एस० सप्तगिरी, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी०	वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी० (रु० 650-1200)	1-3-77	

सं० ए० एम० डी०-4/3/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निम्नलिखित अधिकारी को कालम 4 में लिखि तिथि से एवं उनके नाम के सामने लिखे स्थायी पद पर एतद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पद	पद जिस पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया।	स्थायीकरण की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री बी० बी० नादकर्णी वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० सी०	वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० ओ०/एस० बी० (रु० 650-1200)	1-3-77	

ग० रा० उदास, निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग

रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र
कलपक्कम दिनांक 11 अगस्त 1977

स० ए-32023/1/77-आर०-13138—रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, केन्द्र के स्थानापन्न सहायक लेखाकार, श्री के० एम० वेलायुधान को 27 जून, 1977 से 23 जुलाई, 1977 की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं। श्री वेलायुधन ने 23 जुलाई, 1977 के अपराह्न में सहायक लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा सहायक लेखाकर के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ए-32023/1/77-आर-13149—इस केन्द्र की दिनांक 28 जून, 77 की अधिसूचना सं० आर० आर० सी-II-I (26)/72-10774 के अनुक्रम में एतद्द्वारा, रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक एवम् इस केन्द्र के स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री आर० राजमणि की इस केन्द्र में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी-II की तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति का कार्यकाल 17-7-77 से 23-7-77 तक बढ़ाते हैं। श्री आर० राजमणि ने 23 जुलाई, 1977 के अपराह्न में लेखा अधिकारी-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया और सहायक लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

के० शंकरनारायणन,
वरिष्ठ प्रशासन-अधिकारी
कृते परियोजना अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

अहमदाबाद-380053, दिनांक 11 अगस्त 1977

सं० अं० उ० के०/स्था०/टी० ई० एस० सी०/11/77—निदेशक श्री धीरेन आर० शाह को इंजीनियर एस० बी० के पद पर

अस्थायी रूप में अन्तरिक्ष विभाग के भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में दिनांक 21 जनवरी 1977 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एस० जी० नायर,
प्रधान कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० ए-32013/9/77-ई-I—राष्ट्रपति ने श्री पी० आर० चन्द्रशेखर, उपनिदेशक अनुसंधान और विकास को 1 जून, 1977 से 16 जुलाई, 1977 तक तदर्थ आधार पर नागर विमानन विभाग में निदेशक अनुसंधान और विकास के पद पर नियुक्त किया है।

सी० के० वत्स,
सहायक निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० ए-32012/3/77-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री आर० श्रीनिवासन, अधीक्षक को श्री शेर सिंह, प्रशासन अधिकारी (तदर्थ) की छुट्टी रिक्ति में 11 जुलाई, 1977 से क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास के कार्यालय में तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारी (ग्रुप बी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए-32012/3/77-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री एम० सी० माहे, अधीक्षक को 25-7-1977 से प्रिंसिपल, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बमरौली, इलाहाबाद में तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारी (ग्रुप बी) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

विश्व विनोद जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1977

सं० ए-39013/5/77-ई० ए०—श्री वी० डी० परमार, सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी, बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई ने 11 अगस्त, 1977, से सरकारी सेवा त्याग दी है।

प्रेम चन्द जैन,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

कानपुर, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 107/77—इस समाहर्तालय के पृष्ठांकन पत्र सं० II (3) कांफला/61/75/एच० ए० सी०/पार्ट/3015 दिनांक 20-12-75 के अन्तर्गत नोटिस के बदले 3 माह के वेतन और भत्ते देकर, एफ० आर० 56(जे) के अन्तर्गत दिनांक 24-12-75 (अपराह्न) को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अलीगढ़ में पहले पदस्थापित श्री जी० पी० श्रीवास्तव अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ग्रुप 'ख' अपने पद का कार्यभार दिनांक 24-12-75 (अपराह्न) को श्री गुलाब सिंह, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, अलीगढ़ को सौंप कर सरकारी सेवा से दिनांक 24-12-75 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गये। वह अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद भी दिनांक 21-11-77 तक छुट्टी पर रहेंगे और उन्हें अवकाश की उस अवधि को छोड़कर जो उस अवधि के साथ चलती है जिसके लिये नोटिस के बदले वेतन और भत्ते दिये जा चुके हैं केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 के नियम 40(7)(ए) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवकाश वेतन जिसमें पेंशन तथा सेवा निवृत्ति की अन्य प्रसुविधाओं के बराबर पेंशन की धनराशि घटी होगी, मिलेगा। ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन स्वीकार्य नहीं है।

दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० 116/77—श्री राम स्वरूप शर्मा, पुष्ट अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' ने अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आगरा के पद का कार्यभार दिनांक 31-1-77 (अपराह्न) को श्री ओ० एन० चौहान, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आगरा को सौंप दिया और अर्धवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31-1-77 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए।

सं० 117/77—श्री एच० एस० विर्क निरीक्षक (प्रवरण कोटि) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप देखिए इस कार्यालय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इलाहाबाद के पृष्ठांकन प० सं० 11-(39)-ईटी/77/14266 दिनांक 31-3-77 तथा 11-140-ईटी-76/पार्ट/2865 दिनांक 24-6-77 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए 97/77 और 1ए/203/77 दिनांक 31-3-77/24-3-77 अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बी० एच० ई० एल० हरिद्वार के पद का कार्यभार दिनांक 7-7-77 (पूर्वाह्न) ग्रहण किया।

के० एस० दिलिपसिंहजी,
समाहर्ता

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1977

सं० 8/77—श्री ई० डी० श्रीनिवासन ने, जो हाल में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय मद्रास में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ग्रुप 'ख' के अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे दिनांक 10-8-77 के पूर्वाह्न से निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के हैदराबाद स्थित मध्य प्रादेशिक यूनिट निरीक्षण अधिकारी (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ग्रुप 'ख' का कार्यभार सम्भाल लिया।

[सी० सं० 1041/29/77]

दिनांक 27 अगस्त, 1977

सं० 9/77—श्री एम० डी० चौधरी ने, जो पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कानपुर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक ग्रुप 'ख' के रूप में काम कर रहे थे, दिनांक 20-8-77 (पूर्वाह्न) से निरीक्षण निदेशालय (सीमा तथा के० उ० शु०) के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में निरीक्षण अधिकारी ग्रुप 'ख' के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है ।

[सी० सं० 1041/48/76]

सु० वेंकटरामन,
निरीक्षण निदेशक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

गुवाहाटी-781011, दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० ई/55/III/95 भाग-II (ओ)—श्री एम० सी० भट्टाचार्जी को द्वितीय श्रेणी सेवा में सहायक भंडार नियंत्रक के रूप में 1-11-1976 से स्थायी किया जाता है ।

जी० एच० केसवानी,
महाप्रबन्धक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1977

सं० 12—भारतीय रेल अभियांतिकी विभाग के श्री जे० एस० गुप्ता वरिष्ठ मंडल अभियंता 31/7/77 अपराह्न से आयु आधीन सेवा नियुक्त हो गये हैं ।

जे० एन० कोहली,
महाप्रबंधक

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और अनुपम शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 7637/2943-एल० सी०—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर अनुपम शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कंपनी विघटित कर दी जायगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और त्रिवेदी टाइपराइटर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कानपुर, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 7673/1851-एल० सी०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर त्रिवेदी टाइपराइटर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और दी आगरा ट्रेड एसोसिएशन के विषय में ।

कानपुर, दिनांक 22 अगस्त 1977

सं० 7674/339-एल० सी०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर दी आगरा ट्रेड एसोसिएशन का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

एस० नारायणन
रजिस्ट्रार आफ़ कम्पनीज़
(उ० प्र०), कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 और आसाम एसोसियेटेड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 15/96/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आसाम एसोसियेटेड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और फिनाक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 19765/560 (5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि फिनाक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और पोद्दार पेकेजिंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 28876/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पोद्दार पैकेजिंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और इण्डिया बयेईंग स्केल एन्ड इन्जीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 20123/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा(5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डिया बयेईंग स्केल एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और केलास नाथ राई बन्सी-धर राई प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 19624/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि केलास नाथ राई बन्सीधर राई प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 560 और एडुकेसन पोमोटिंग फाईनेनसर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 26961/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एडुकेमन पेमोटींग फाइनेनमर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कलोटियर्ज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 24933/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कलोटियर्ज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

एस० सी नाथ
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पुडुक्कोटै व्यापारिगल संगम के विषय में

मद्रास 6, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 2120/560(3)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पुडुक्कोटै व्यापारिगल संगम का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पान्डयन कोरपोरेशन लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 22 अगस्त, 1977

सं० 2099/560(3)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख मे तीन मास के अवसान पर पान्डयन कोरपोरेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर मे काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पोल्लाच्ची ट्रेडिंग कोरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-600 006, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 2049/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पोल्लाच्ची ट्रेडिंग कोरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री कृष्णा मरकनडैल ऐजन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-600 006, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 2439/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री कृष्णा मरकनडैल ऐजन्सी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वासुगि चिट फंडस लिमिटेड के विषय में

मद्रास-600 006, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 5729/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि वासुगि चिट फंडस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और ए० एच० एम० चिट फंडस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-600 006, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 5757/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा

सूचना दी जाती है कि ए०एच०एम० चिट फंडस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और दि युनैटड पालिस्टर एन्ड अलैड इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-600 006, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 6043/560(5)/77--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि दि युनैटड पालिस्टर एन्ड अलैड इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और राजम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 6687/560(3)/77--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राजम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

के० पञ्चापकेशन
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कूनूर टाकीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 25 अगस्त 1977

सं० 3391/लिक्वि/560(5)/77--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि कूनूर टाकीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मणिवण्णन रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 26 अगस्त, 1977

सं० 4856/560(5)/77--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मणिवण्णन रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पुतुइरा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-600006 दिनांक, 29 अगस्त, 1977

सं० 5313/560(5)/77--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पुतुइरा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

सी० अच्युतन
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अगस्त, 1977

सं० लिक्वीडेशन/3264/15169--यतः किकि बाबा लोन्स प्राइवेट लिमिटेड (समापन में) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 9-बी०, सुन्दर नगर मार्कीट, नई दिल्ली में है, का परिसमापन किया जा रहा है ।

और यतः, अधोहस्ताक्षकर्ता के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है और समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट धारा 551 में छै क्रमवर्ता मास की अवधि की नहीं दी गई है ।

अतः अब, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास का अवसान होने पर किकि बाबा लोन्स प्राइवेट लिमिटेड (समापन में) का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये जाने पर रजिस्टर में से काट दिया जायेगा, और उक्त कम्पनी को विघटित कर दिया जायेगा ।

आर० के० अरोड़ा,
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओजस एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 29 अगस्त 1977

सं० 560/549--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओजस एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लूना ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 29 अगस्त 1977

सं० 560/2486—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लूना ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

जे० गो० गाथा
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य
अहमदाबाद

कार्यालय, आयकर आयुक्त

पटना, दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० जी० सी०-2-11-2/74—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन आयकर आयुक्त, बिहार पटना एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची के खण्ड-I में उल्लिखित आयकर अधिकारी दिनांक 25-7-1977 से खण्ड-II में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तिवर्गों से सम्बन्धित सभी कार्य करेंगे ।

अनुसूची

खण्ड I	खण्ड II
(1)	(2)
1. आयकर अधिकारी, वार्ड एफ०, अंचल-I, पटना ।	(i) राजस्व जिला पटना के सदर प्रमण्डल के मुनिसिपल वार्ड सं० 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के, उन व्यक्तियों या व्यक्तिवर्गों को छोड़ कर जहां चालू व्यवसाय या पेशे के विघटन के परिणामस्वरूप व्यवसाय आरम्भ किया गया है तथा उन मामलों को भी छोड़कर जहां प्रथम विवरणी में 25,000/- रुपये या अधिक आय प्रकट की गई है, सभी व्यक्तियों या व्यक्ति वर्गों जिनका निर्धारण अब तक नहीं हुआ है तथा जिन्होंने या तो स्वेच्छया विवरणी दाखिल की है या सर्वेक्षण के फलस्वरूप जिन्हें ढूंढ निकाला गया है ।
	(ii) उपर्युक्त मद (i) के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी व्यक्ति जो फर्म में साझीदार हैं ।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड जी०, अंचल-I, पटना ।	(i) राजस्व जिला पटना के सदर प्रमण्डल के मुनिसिपल वार्ड सं० 1, 2, 3, तथा 33, 34, 35, 36 और 37 के, उन व्यक्तियों या व्यक्तिवर्गों को छोड़ कर जहां चालू व्यवसाय या पेशे के विघटन के परिणामस्वरूप व्यवसाय आरम्भ किया गया है तथा उन मामलों को भी छोड़ जहां प्रथम विवरणी में 25,000/- रु० या अधिक आय प्रकट की गई है, सभी व्यक्तियों या व्यक्ति वर्गों जिनका निर्धारण अब तक नहीं हुआ है तथा जिन्होंने या तो स्वेच्छया विवरणी दाखिल की है या सर्वेक्षण के फलस्वरूप जिन्हें ढूंढ निकाला गया है ।
	(ii) उपर्युक्त मद (i) के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी व्यक्ति जो फर्म में साझीदार हैं ।

परन्तु उपर्युक्त आयकर अधिकारियों को ऐसे मामलों पर भी क्षेत्राधिकार होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गए हैं या भविष्य में उन्हें विशेष रूप से सौंपे जाएंगे और ऐसे मामले जो किसी अन्य आयकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है या जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अन्तर्गत विशेष रूप से किसी अन्य आयकर अधिकारी को सौंपे गए हैं या भविष्य में सौंपे जाएंगे, उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं होंगे ।

परन्तु जहां निर्धारिती एक से अधिक फर्मों में साझीदार हो, वहां वे ही आयकर अधिकारी क्षेत्राधिकार धारण करेंगे जो उन फर्मों में से पूर्व निर्मित फर्म (जिसका वह साझीदार है) का निर्धारण करते रहे हैं ।

सं० जी० सी०-2-11-2-74—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन आयकर आयुक्त, बिहार-I, पटना एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची के खण्ड-I में

उल्लिखित आयकर अधिकारी दिनांक 25-7-1977 से खण्ड-II में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तिवर्गों से सम्बन्धित सभी कार्य करेंगे ।

अनुसूची

खण्ड I	खण्ड II
(1)	(2)
1. आयकर अधिकारी, वार्ड सी०, अंचल-II, पटना ।	(i) राजस्व जिला पटना के पटना सिटी, बाढ़ तथा दानापुर प्रमण्डल के, उन व्यक्तियों या व्यक्तिवर्गों को छोड़ कर जहां चालू व्यवसाय या पेशे के विघटन के परिणामस्वरूप व्यवसाय आरम्भ किया गया है तथा उन मामलों को भी छोड़कर जहां प्रथम विवरणी में 25,000 रुपये या अधिक आय प्रकट की गई है, सभी व्यक्तियों या व्यक्तिवर्गों जिनका निर्धारण अब तक नहीं हुआ है तथा जिन्होंने या तो स्वेच्छया विवरणी दाखिल की है या सर्वेक्षण के फलस्वरूप जिन्हें ढूंढ निकाला गया है ।
	(ii) उपर्युक्त मद (i) के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी व्यक्ति जो फर्म में साझीदार हैं ।

परन्तु उपर्युक्त आयकर अधिकारियों को ऐसे मामलों पर भी क्षेत्राधिकार होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गए हैं या भविष्य में उन्हें विशेष रूप से सौंपे जाएंगे और ऐसे मामले जो किसी अन्य आयकर अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है या जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अन्तर्गत विशेष रूप से किसी अन्य आयकर अधिकारी को सौंपे गए हैं या भविष्य में सौंपे जाएंगे उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं होंगे ।

परन्तु जहां निर्धारिती एक से अधिक फर्मों में साझीदार हो, वहां वे ही आयकर अधिकारी क्षेत्राधिकार धारण करेंगे जो उन फर्मों में से पूर्व निर्मित फर्म (जिसका वह साझीदार है) का निर्धारण करते रहे हों ।

एम० आर० खराबन्दा
आयकर आयुक्त, बिहार-I, पटना

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा,

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 423—अतः, मुझे, एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 340/2-बी० है, तथा जो राजमन्द्री में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्द्री में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 31-1-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० श्रीरामचन्द्र मूर्ती चीराका (अन्तरक)

2. (1) राम चन्द्र मूलचन्द (2) श्रीमती नीलू राजमन्द्री (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राजमन्द्री रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 19/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 25-8-1977
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 424—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 340/2-बी है, जो राजमन्द्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमंडी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-1-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती जि० कस्तूरी तुलि (अन्तरक)

2. (1) श्री रामचन्द्र मूलचन्द (2) श्रीमती नीलू राजमन्द्री (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित, हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

राजमन्द्री रजिस्ट्री अधिकारी से पाँक्षिक अंत 15-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज सं० 20/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 25-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 425—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 340/2-बी०, है, तथा जो राजमन्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्ड्री में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-1-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पि० सुरम्मा, चीराला ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री रामचन्द्र मूलचन्द (2) श्रीमती नीलू राजमन्ड्री

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

राजमन्ड्री रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 21/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 25 अगस्त 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 426—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 9/146 है, जो मैनरोड गुडिवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ण अधिकारी के कार्यालय गुडिवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री पि० वेंकटेस्वरराव गुडिवाड़ा तालुक, नूजेल्ला (अन्तरक)

2. श्री वि० अच्युतरामय्या गुडलवल्लेरू (अन्तरिती)

3. (1) गुडिवाडा कोपरेटीव अर्बन बैंक (2) ओंकार प्रेस, (3) लक्ष्मी एनटरप्रेसेस (4) श्री वेंकटेस्वरा यलोर मिल (5) के० सुब्रह्मनयम (6) एम० कमल बाबा

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1-77 म पंजीकृत दस्तावेज सं० 7/78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख 25-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 427—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 9/146 है, तथा जो मैनरोड, गुडिवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-1-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पि० गोपाल कृष्ण नूजेल्ला ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती पि० नर्मला देवी, गुडिवाडा ।

(अन्तरिती)

3. (1) गेलार्ड्स लान्ड्री

(2) विजया काल गैस कम्पनी

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 41/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा ।

तारीख : 25-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 428—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 9/146 है, तथाम जो मैनरोड गु-डिवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-1-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पि० गोपाल कृष्ण नूजेल्ला (अन्तरक)
2. श्री पि० लक्ष्मण राव, गुडिवाडा (अन्तरिती)
3. (1) विजया कालगेम कम्पनी (2) दुर्गा टैलर्स, (3) श्री लक्ष्मी आटो फैनानसस, गुडिवाडा

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज- नं० 40/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा ।

तारीख: 25-8-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 429—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 31-16-10 है, जो विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 24-1-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वाई० वेंकटेस्वरा राव, विजयवाड़ा।

(अन्तरक)

2. श्री टी० श्रीमन्नारायण, विजयवाड़ा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 61/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 25-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 430—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 27-17-50, 51 और 52 है, तथा जो विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 24-1-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 (1) श्रीमती एम० सीतामहालक्ष्मी, विजयवड़ा,
(2) श्री एम० हरिपूर्ण लक्ष्मण सर्मा, विजयवाड़ा,
(3) कुमारी एम० गुण सुन्दरी, विजयवाड़ा,
(4) कुमारी एम० अरुनधती, विजयवाड़ा,
(5) कुमारी एम० भारती, विजयवाड़ा,
(6) श्रीमती एम० सत्यावतम्मा, विजयवाड़ा,
(7) श्री जे० सेषाद्री सास्त्री, विजयवाड़ा,
(8) श्री के० वेंकटरतनम गुडलवल्लेरू ।

(अन्तरक)

2. श्री चनुमोलु रामाराव, विजयवाड़ा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-1-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 69/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 25-8-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

श्रीमती के० जी० एम० पो० आयुर्वेदिक बिल्डिंग, 5वीं माला, नेताजी सुभाष रोड, बम्बई।

बम्बई-400002, दिनांक 20 अगस्त 1977

निर्देश सं० अ० ई० 2/2371-2/दिस० 76—यतः, मुझे, व्हि० एस० महाजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एन० 4 हि० नं० 2 है, तथा जो चुईम गाँव, में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंबई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 7-12-1970

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. 1 अंथोनी फर्नान्डीस,
   2 श्री वेन्सी फर्नान्डीस,
   3 मेरवेन फर्नान्डीस,
   4 तिल्ल ग्रीडोनी फर्नान्डीस,
   5 जेमन मिरन्दा,
   6 हुबर्ट मिरन्दा,
   7 मोरिस मिरन्दा,
   8 स्टैला डी'सूजानी मिरन्दा,
   9 स्यबिल ड-डायसमी मिरन्दा,
   10 रोसी-विधवग्राफ केन्नीथ डी'मेलो,
   11 वेल्ली डी'मेलो,
   12 लुई फर्नान्डीस,
   13 जो फर्नान्डीस,
   14 पेरसी फर्नान्डीस,
   15 डोरिस पीरेरानी फर्नान्डीस,
   16 इदना डी'सानी फर्नान्डीस और
   17 केलिना पीरेरानी फर्नान्डीस (अन्तरक)

2. बांडा कार्नर को० आप० हाऊ० सो० लि० (अन्तरिती)
   1 नरेन्द्र देसाईभाई पटेल,
   2 नटवरलाल हरिलाल पारिख,
   3 विनोदराय जीवाभाई पटेल,
   4 विनोद जयकिशनदास चोक्सी,
   5 इंदवदन हरजीवनदास शाह,
   6 भूपेन्द्र छोटूभाई पटेल,
   7 कानूभाई देसाईभाई पटेल,
   8 भानुचंद्र छोटालाल शाह,
   9 सुरेश रामचन्द्र अर्वे,
   10 चंद्रकांत बलवंतराय शाह,
   11 पूनमचंद्र अंबालाल बखारिया,
   12 नरोत्तमभाई मानिकलाल पंचाल,

यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संहति है :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस०-559/76/बंबई उप-रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 7-12-1976।

व्हि० एस० महाजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 20 अगस्त, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 26 अगस्त 1977

निर्देश सं० ए०-135/तेज०/77-78/481-92—यतः, मुझे, एगबर्त सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 58 है, तथा जो बालिचापरि गांव मौजा महा, भौरव तेजपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेजपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधियिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री काजि जलाल उदीन, (2) काजी कमल उदीन, और महमद हुसैन, मस्जिद रोड, तेजपुर (अन्तरक)

2. श्री बछराज दुगर, मेनबजार रोड, तेजपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन की माप दो बिघा और सोलह लेचा और उसके एक आसाम टाइप का मकान जो कि बालिचापरी गांव, मौजा महाभौरव, तेजपुर सहर, दरंग जिला में स्थित है।

एगबर्त सिंह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख: 26-8-1977
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 26 अगस्त 1977

निर्देश सं० ए-136/तेज/77-78/495-506—यतः, मुझे, एगबर्ट सिंग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० पि० पि० नं० 163 और दाग नं० 2448 है, तथा जो मौजा महाभैरव, तेजपुर, जिला दरंग, आसाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जैकिसनदास मल अलाएस मैसर्स जैकिसनदास मल, पि० एफ० 216, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता ।

(अन्तरक)

2. श्री सोहनराज शिंगवि, मेन रोड, तेजपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन की माप एक बीघा, तीन काता और सात लेचा, जोकि पि० पि० नं० 163 और दाग नं० 2448 में है और एह मौजा महाभैरव, तेजपुर शहर, दरंग जिला, आसाम में स्थित है ।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 26-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 30 अगस्त 1977

निर्देश सं० टि० आर०-79/मि०-69/कलकत्ता-1/76-77--यतः, मुझे, एम० के० बालसुब्रमणियन्

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 50 है तथा जो चौरंगी रोड, कलकत्ता-71 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्लेस नार्थ कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-1-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. मैसर्स आलपि फाईनान्स लि०, 4, कमाक स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ।

(अन्तरक)

2. श्री परिमल घोष, 46 सि, चौरंगी रोड, कलकत्ता-71 ।

(अन्तरिती)

3 आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, 50, चौरंगी रोड, कलकत्ता-71 । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

50, चौरंगी रोड, कलकत्ता में अवस्थित 2262.28 वर्ग फिट जमीन पर मकान का दो तल्ला में आफिस के लिए घर ।

एम० के० बालसुब्रमणियन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 30-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निर्देश सं० ए० पी०-1704—यतः, मैं, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसाकि अनुसूची में है, तथा जो लाजपत नगर, जालन्धर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों; को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हीरा लाल पुत्र श्री अमर नाथ मकान नं० 225, नजदीक बुद्धा दरिया, बस्ती योधा, लुधियाना।

(अन्तरक)

2. श्री पन्ना लाल पुत्र श्री चुनी लाल 70-लाजपत नगर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 5365 जनवरी 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निदेश सं० ए० पी०-1705—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है (तथा जो गोविन्द गढ़, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री जगन्नाथ मकान नं० ई० जी-1072, गोविन्द गढ़, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री सत पाल पुत्र श्री तुलसी राम मकान नं० 1072 गोविन्द गढ़, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 5275 जनवरी 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-77

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निर्देश सं० ए० पी०-1706—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो कृष्णपुरा, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री सुखराज शर्मा पुत्र श्री बली राम कृष्णपुरा, जालन्धर (अन्तरक)
2. श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री अमर चन्द एन० ए० 245 (बी० एक्स०-326) कृष्णपुरा, जालन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 6121 फरवरी 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निदेश सं० ए० पी०-1707—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो पुलिस लाइन, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों; को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् —

1. श्रीमती शान्ता मलहोतरा पत्नी श्री विशवा नाथ, 525-न्यू जवाहर नगर, जालन्धर ।
(अन्तरक)
2. श्री कंवर नौनिहाल सिंह पुत्र श्री रत्न सिंह, जैन मार्किट जालन्धर
(अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर उ व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित ह वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 6019 फरवरी 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निदेश सं० ए० पी०-1708—यतः मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो बस्ती शेख, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बखतावर सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह निवासी बडाला, तहसील, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31-माडर्न कालोनी जालन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5870 फरवरी 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निदेश नं० ए० पी०-1709—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो माडल टाऊन, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह गरन्थी गुरद्वारा, भार्गव कैम्प, जालन्धर

(अन्तरक)

2. श्री अमर चन्द, केवल कृष्ण पुत्र श्री नानक चन्द, 823-आर०, माडल टाऊन, जालन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 6405 मार्च 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निदेश नं० ए० पी०-1710—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो ताजपुर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री देवी चन्द पुत्र श्री बद्री चन्द निवासी ताजपुर, तहसील जालन्धर

(अन्तरक)

2. मै० कोछर ऐगरो सर्विस सैन्टर, ताजपुर, तहसील, जालन्धर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जसा कि विलेख नं० 5801 फरवरी-77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निदेश सं० ए० पी०-1711—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो हिलार जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरी सिंह पुत्र श्री मलक सिंह, निवासी गांव हिलार, तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, निवासी हिलार, तहसील जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5833, फरवरी-77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज; जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 29 अगस्त 1977

निर्देश सं० ए० पी०-1712—यतः मुझे बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो मोती सिंह नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती गुरबचन कौर पत्नी श्री अमर सिंह, 76 न्यू जवाहर नगर, जालन्धर (अन्तरक)

2. श्री दविन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, गांव मैहम, तहसील नकोदर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो गुरशेर सिंह (जी० ए०) (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 6886 मार्च-77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० III-261/अर्जन/77-78/1074—यतः, मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी प्लौट सं० 129 जो० हो० सं० 17 है तथा जो म्युजियम रोड, पटना-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 17) के अधीन, तारीख 3-2-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अखिलेश्वर सिंहा वल्द श्री बद्री नारायण सिंहा, सा० चन्दौली, थाना बेलसण्ड जिला सीतामढ़ी हाल रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर
(अन्तरक)

2. श्रीमती राम श्रृंगारी सिंह जौजे श्री रामदेव सिंह सा० रामनगर थाना कटरा जिला—मुजफ्फरपुर हाल सा० म्युजियम रोड, पटना-1
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 1 कट्ठा जो म्युजियम रोड, पटना-1 में है तथा जिसका वा० सं०-1, सर्किल सं०-5, म्यू० प्लोट सं० 129 एवं हो० सं० 17 है तथा जिसका वर्णन दस्तावेज सं० 241 दिनांक 3-2-77 में पूर्ण है ।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 31-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार पटना

पटना, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० III-262/अर्जन/77-78/1075—यतः, मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी खाता सं० 72, प्लौट सं० 1439/अ है, तथा जो आरा, थाना रांची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-1-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. म० सिद्धार्थी इण्डस्ट्रीज, 14-प्रिंसेप स्ट्रीट, कलकत्ता, द्वारा पार्टनर :—श्रीमती प्रेम लता झावर जौजे श्री गंगा दास झावर एवं श्री राजेन्द्र कुमार झावर वल्द श्री गंगा दास झावर सा० 51/ई, गरियाहाट रोड, कलकत्ता।

(अन्तरक)

2. म० स्वास्तिक इनसुलेटेड वायर एवं स्ट्रीपस, हरिहर सिंह रोड, रांची, द्वारा पार्टनर :—श्री बैज नाथ अग्रवाला वल्द स्व० शंकर लाल अग्रवाला, सा० मेन रोड, झरिया, जिला धनबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन रकबा-54 डिसमिल जो गांव आरा थाना रांची में है तथा जिसका खाता सं० 72 एवं प्लौट सं० 1439/अ है तथा जिसका वर्णन दस्तावेज सं० 392 दिनांक 18-1-77 में पूर्ण है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 31-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड, रोहतक

रोहतक, दिनांक 2 सितम्बर 1977

निर्देश सं० एच एस आर०/15/76-77—यतः, मुझे, रविन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन रकबा 3 कनाल 10½ मरला है, तथा जो हिसार में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री मत पाल
   (2) श्री विनोद कुमार } पुत्र श्री मुकंद लाल
   (3) श्रीमती जवाला बाई उर्फ जवाला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मुकंद लाल
   (4) श्रीमती सन्तोष कुमारी
   (5) श्रीमती सतीश कुमारी } पुत्रियां श्री मुकंद लाल,
   (6) श्रीमती शशी कान्ता उर्फ रानी
   मारफत श्री मुकंद लाल सेथीया, अनाज मंडी, अबोहर (पंजाब) ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री टेक चन्द
   (2) श्री भाग चन्द पुत्र श्री बालू राम
   (3) श्री सीता राम पुत्र श्री गोपी राम
   (4) श्री गयानी राम पुत्र मंहगा राम
   मारफत असम रोडवेज कारपोरेशन कुतब रोड, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

3 कनाल 10½ मरले का प्लाट, खसरा नं० 168/ वाक्या हिसार ।

93/1

रविन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 2-9-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड, रोहतक

रोहतक, दिनांक 2 सितम्बर 1977

निर्देश सं० एचएसआर०/16/76-77—यतः मुझे, रविन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी जमीन रकबा 3 कनाल $10\frac{1}{2}$ मरला है तथा जो हिसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हिसार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री सतपाल
   (2) श्री विनोद कुमार } पुत्रश्री मुकंद लाल
   (3) श्रीमती जवाला बाई उर्फ जवाला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मुकंद लाल
   (4) श्रीमती संतोष कुमारी
   (5) श्रीमती सतीश कुमारी } पुत्रियां श्री मुकंद लाल
   (6) श्रीमती शशी कांता उर्फ रानी
   मारफत श्री मुकंद लाल से थीया, अनाज मंडी अबोहर (पंजाब)। (अन्तरक)

2. (1) श्री महावीर प्रसाद बंसल पुत्र श्री छज्जू मल
   (2) श्री कश्मीरी लाल पुत्र श्री राम धारी बंसल
   (3) श्री जगदीश राज गुप्ता पुत्र श्री देस राज गुप्ता मारफत बंसल भवन, प्रेम नगर, हिसार
   (4) चौ० केहर सिंहपुत्र श्री कांशी राम निवासी गंगटाक (सिक्कम)। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1681

3 कनाल $10\frac{1}{2}$ मरले का प्लाट, खसरा नं०——— वाकया हिसार। 93/1

रविन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 2-9-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड, रोहतक

रोहतक, दिनांक 2 सितम्बर 1977

निर्देश सं० बीजीआर०/16/76-77—यतः, मुझे, रविन्द्र कुमार पठानिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० फैक्टरी जमीन सहित है, तथा जो 14/3 माईल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कामनी उपासकर लि०, कस्तूरबा गान्धी मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. जे० एम० ए० इन्डस्ट्रीज, 14/6 माईल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद (रजिस्टर्ड कार्यालय : 29, कौमनिटी सैंटर दूसरी मंजिल, ईस्ट कैलाश, नई देहली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्टरी मैं० जे० एम० ए० इन्डस्ट्रीज, 14/3 माईल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद (जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बल्लबगढ़ के दिसम्बर, 1976 में रजिस्ट्री नं० 6020 से प्राप्त है)।

रविन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 2-9-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 2 सितम्बर 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी०/66/76-77—यतः, मुझे, रविन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस० सी० ओ० नं० 85, सैक्टर 47-डी०, चंडीगढ़ है, तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखि तव्यक्तियों अर्थात्:—

1. (i) श्री जगमोहन लाल सोन्धी
   (ii) श्री बलदेव सहाय सोन्धी
   } सपुत्र श्री फगवारिया मल सोन्धी मकान नं० 3014, सैक्टर 27-डी०, चन्डीगढ़

   (अन्तरक)

2. पं० लच्छमन दास सपुत्र श्री सुन्दर दास एस० सी० एफ० 3, सैक्टर 27-डी०, चन्डीगढ़ (अब एस० सी० ओ० नं० 85, सैक्टर 47-डी० चन्डीगढ़)

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस० सी० ओ० नं० 85, सैक्टर 47-डी०, चन्डीगढ़ 2 1/2 मंजिला जिसका रकबा 114 वर्ग गज है।

रविन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चन्डीगढ़

तारीख : 2-9-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल 77-78/882—

यतः मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है, जो नीमच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीमच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1977

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री चांदमल जी बंसल अग्रवाल निवासी दानाबली, नीमच केन्ट, मन्दसौर (अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार चौरसिया पुत्र श्री शंकर लाल चौरसिया, चूड़ी गली, नीमच कैन्ट, मन्दसौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 287 (पुराना 668) का भाग स्थित तिलक मार्ग, नीमच केन्ट, मन्दसौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 31-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 77-78/883 —अतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो नीमच केन्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीमच कैन्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य; उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री चांदमल जी बंसल अग्रवाल निवासी दानाबली, नीमच केन्ट, मन्दसौर

(अन्तरक)

2. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल चौरसिया, चूड़ी गली, नीमच केन्ट, मन्दसौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 287 (पुराना 668) स्थित तिलक मार्ग, नीमच केन्ट, मन्दसौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 31-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल-77-78/884—यतः, मुझे, रा० कु० बाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो नीमच, केन्ट में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नीमच केन्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री चांदमल जी बंसल अग्रवाल निवासी दानाबली नीमच केन्ट, मन्दसौर (अन्तरक)

2. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल चौरसिया निवासी चूड़ीगली, नीमच केन्ट, मन्दसौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 287 (पुराना 668) का भाग, स्थित तिलक मार्ग, नीमच केन्ट, मन्दसौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 31-8-197
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/ भोपाल 77-78/ 885/—अतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो नीमच केन्ट में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीमच केन्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-4-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री चांदमल जी बंसल अग्रवाल, निवासी दानाबली, नीमच केन्ट, मन्दसौर (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री शंकर लाल जी चौरसिया, निवासी चूड़ीगली, नीमच केन्ट, मन्दसौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 287 (पुराना 668) का भाग स्थित—तिलक मार्ग, नीमच केन्ट, मन्दसौर ।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख : 31-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल-77-78/886—यतः, मुझे, रा० कु० बाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो नीमच केन्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीमच केन्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री चांदमल जी बंसल अग्रवाल, निवासी दानाबली, नीमच केन्ट मन्दसौर (अन्तरक)

2. श्री किशोरी लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल चौरसिया, निवासी चूड़ीगली, नीमच केन्ट, मन्दसौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है; वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 287 (पुराना 668) का भाग स्थित-तिलक मार्ग, नीमच केन्ट, मन्दसौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 31-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 1977

निर्देश सं० 74/अर्जन/मेरठ/77-78-2688—यतः, मुझे आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-12-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कश्मीरी लाल, कुल भूषन पुत्र राम प्रकाश देवपुरी, मेरठ प्रोप्राइटर स्वर्ण क्लाथ हाउस, बाजार बजाजा, मेरठ (अन्तरक)
2. श्री राम स्वरूप, सुन्दर लाल नरेन्द्र कुमार पुत्रगण दीवान चन्द, प्रहलाद नगर, मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति दुमंजली दुकान नं० 384, 385 बजाजा बाजार मेरठ में स्थित 40,000 के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 27-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 30 अगस्त 1977

निर्देश सं० 28-ए०/अर्जन/सहारनपुर/77-78/12693—यतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है, तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहारनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-12-1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रिशी कुमार गुप्ता एडवोकेट पुत्र लाला भानचन्द निवासी माधव नगर कालोनी सहारनपुर

(अन्तरक)

2. श्री प्रकाश चन्द पुत्र मुकन्दी लाल, श्रीमती शिक्षा देवी पत्नी श्रवण कुमार, निवासीगण ग्राम बर्धा कामस्थ पो० खास परगना सुलतानपुर, तहसील नफुड़, जिला सहारनपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्रतत्र नं० 3720 दिनांक 30-11-1976 के कालम नं० 3 में दिए विवरण के अनुसार माधव नगर सहारनपुर में स्थित 75000/- के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 30-8-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 30 अगस्त 1977

निर्देश सं० 102/अर्जन/देहरादून/77-78—यतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० है, तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 22-12-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ग्रुप कैप्टन अजय कुमार बोस पुत्र स्वर्गीय श्री एन० आर० बोस निवासी क्लेमेन्ट टाउन देहरादून (अन्तरक)

2. श्रीमती रामला चावला पत्नी सुजन सिंह चावला देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 53 कैम्प एरिया (पुराना नं० 154 भारूवाला) क्लेमेन्ट टाउन कैन्ट देहरादून 62400 के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी;
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 30-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 20 अगस्त 1977

निर्देश सं०आईएसी/एसीक्यू/44/77-78—यत, मुझे, एच्० सी० श्रीवास्तव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 11, सीट नं० 20ए- है, तथा जो धन्तोली, नागपुर म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन तारीख 5-4-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नित्यानंद को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, सचिव श्री एन्० जी० देशपान्डे रघुजी नगर, नागपुर (अन्तरक)

2. श्री सुधीर नरेन्द्र भिवापूरकर, भिवापूरकर नर्सिंग होम, धन्तोली नागपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला नजुल प्लाट नं० 11, शीट नं० 20-ए धन्तोली, नागपुर।

एच्० सी० श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, नागपुर।

तारीख : 20-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 25 अगस्त 1977

निर्देश सं० 153-एस०/ए० सी० क्यू०—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी०-3/98, बी०-3/98ए०, बी०-3/98-बी० बी०-3/132 और बी०-3/133, है तथा जो मो० शीवाला वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-1-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महाराज कुमार सिंह देव, महराज, भूषण सिंह देव, युवराज राम विजय प्रताप सिंह देव, राज कुमार विक्रमादित्य सिंह देव (अन्तरक)

2. श्री पन्नालाल पटेल, जसभाई पटेल, यन्तूभाई पटेल, कान्तीभाई पटेल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी०-3/98, बी०-3/98-ए०, बी०-3/98बी०, बी०-3/132 और बी०-3/133 मोहल्ला शीवाला वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
[सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 25-8-1977
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 30th July 1977

No. A-12019/1/75-Admn.II.—The Adviser, Union Public Service Commission hereby appoints the following Assistant Superintendents (Hollerith) in the office of the Union Public Service Commission to officiate on an ad hoc basis, as Section Officer (D.P.) in the Commission, for a further period of five months with effect from the forenoon of 1st August 1977 or until further orders, whichever is earlier.

1. Shri B. R. Gupta
2. Shri M. M. Sharma
3. Shri Jagdish Lal

R. S. AHLUWALIA
Dy. Secy.
for Adviser
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 27th August 1977

No. A-38013/2/76-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri S. Banerjee, a permanent Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Govt. service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 31st August 1977 in terms of Department of Personnel O.M. No. 33/12/73-Ests(A), dated the 24th November, 1973.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 22nd August 1977

No. 2/28/77-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri H. S. Rathour, a permanent Assistant of the Central Vigilance Commission, as Section Officer in the Commission, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 16th August, 1977, until further orders.

SHRI NIVAS
Under Secy.
for Central Vigilance Commissioner.

New Delhi, the 27th August 1977

No. 2/31/77-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri K. R. Venugopal, I.A.S., as Commissioner for Departmental Enquiries in the Central Vigilance Commission, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 17th August, 1977, until further orders.

CHANDRAMONI NARAYANASWAMY
Director
for Central Vigilance Commissioner.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPTT. OF PERSONNEL & A. R.

(CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)

New Delhi, the 22nd August 1977

No. A-19036/1/77-Ad.V.—The Director, CBI and Inspector General of Police; S.P.E. hereby appoints Shri L. Dapeshwara Rao, Inspector of Police, CBI, Hyderabad on promotion to officiate as Deputy Supdt. of Police in the C.B.I./S.P.E. with effect from 29th July 1977 (FN) until further orders.

The 27th August 1977

No. N-2/73-Ad.V.—Consequent on his appointment in the Shah Commission of Inquiry, the services of Shri N .C. Verma, Deputy Supdt of Police, C.B.I. have been placed at the disposal of the Shah Commission with effect from the forenoon of 21st July 1977 until further orders.

F. No. C-6/73-Ad.V.—Consequent on his appointment as Additional Chief Controller of Imports and Exports New Delhi, Shri C. M. Radhakrishnan Nair, IPS (A.P.) has relieved of his duties of DIG, CBI, New Delhi with effect from the afternoon of 12th August 1977.

P. S. NIGAM
Administrative Officer (E)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 24th August 1977

No. P. VII-2/76-Estt.—The following Office Superintendents of the CRPF are promoted as Section Officers in the Directorate General, CRPF New Delhi w.e.f. the forenoon of 4th August 1977 till further order :—

1. Shri Kripal Singh
2. Shri V. P. Manocha
3. Shri Umrao Singh
4. Shri Mohan Dhalwani

2. Shri B. D. Sareen already officiating as Section Officer in the Directorate on ad-hoc basis, is promoted as Section Officer on regular basis w.e.f. 2nd August 1977.

3. The following officers appointed to officiate as S.O. on ad-hoc basis are reverted to the grade of Office Superintendent w.e.f. 4th August 1977 (FN) :—

1. Shri R. N. Agarwal
2. Shri M. R. Lakhera
3. Shri B. S. Rana.

The 25th August 1977

No. O.II-152/77-Estt.—The President is pleased to appoint on re-employment Lt. Col. S. S. Mathur (Retd) as Asstt. Commandant in the CRPF until further orders.

2. Lt. Col. S. S. Mathur took over charge of the post of Asstt. Commandant 2nd Signal Bn., CRPF Hyderabad on the forenoon of 6th August, 1977.

No. O.II-1069/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. (Miss) Kausalya Chandrabhanji Themaskar as G.D.O. Gd. II (Dy. S.P./Coy. Comdr.) in the CRP Force in a temporary capacity with effect from the afternoon of 30th July, 1977 until further orders.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.).

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

(CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-110024, the 18th August 1977

No. E-32015(1)/4/77-Pers.—On acceptance of his resignation Lt. Col. G. C. S. Bisht relinquished the charge of the post of Commandant CISF Unit BHEL Hardwar with effect from the afternoon of 27th July, 1977.

No. E-38013(3)/7/77-Pers.—The President is pleased to appoint Shri L. P. Singh to officiate as Asstt. Commandant CISF Unit Bokaro Steel Limited Bokaro on ad hoc basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 25th July 1977.

The 22nd August 1977

No. E-32015(2)/7/76-Pers.—On transfer from Calcutta Col. M. Srivastava, relinquished the charge of the post of Group Commandant, Central Industrial Security Force Calcutta with effect from the afternoon of 7th May 1977.

No. E-38013(3)/9/77-Pers.—On transfer from Hoshangabad, Shri Isham Singh, assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit Bhilai Ispat Limited Bhilai with effect from the forenoon of 4th July, 1977.

No. E-38013(3)/9/77-Pers.—On transfer to Hoshangabad, Shri Y. P. Jogewar, Asstt. Commandant, CISF Unit Bhilai Ispat Ltd. Bhilai, relinquished the charge of the said post with effect from the afternoon of 4th July 1977 and assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit SPM Hoshangabad with effect from forenoon of 12th July 1977.

The 25th August 1977

No. E-16014(3)/1/77-Pers.—On transfer on deputation Inspector Kailash Chander Bahl of Delhi Traffic Police, assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Training Reserve of NW/Zone, New Delhi, with effect from the forenoon of 16th August, 1977.

No. E-16015(6)/7/77-Pers.—On transfer on deputation to Indian Institute of Technology Kanpur, Shri Chet Ram Singh, Asstt. Commandant CISF Unit ALIMCO Kanpur, relinquished the charge of the said post with effect from the afternon of 5th August 1977.

No. E-38013(3)/7/77-Pers.—The President is pleased to appoint Shri A. N. Dwibedi to officiate as Asstt. Commandant CISF Unit BSL Bokaro with effect from the forenoon of 2nd August 1977, until further orders and assumed the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/10/77-Pers.—On transfer from Jharia Shri O. P. Jaitley relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit BCCL Jharia with effect from the afternoon of 21st July 1977 and assumed the charge of the said post at CISF Unit BSL Bokaro with effect from the forenoon of 27th July, 1977.

No. E-38013(3)/10/77-Pers.—On transfer from Bokaro, Shri R. K. Mukherjee, Asstt. Commandant CISF Unit BSL Bokaro relinquished the charge of the said post with effect from the afternoon of 20th July 1977.

L. S. BISHT
Inspector General/CISF.

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 24th August 1977

No. P/K(8)-Ad. I.—On the expiry of his leave, Shri Lal Krishan, Deputy Director of Census Operations (*ad-hoc*), is posted, in the same capacity, in the office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, with effect from the forenoon of 23 July, 1977, until further orders

The headquarters of Shri Lal Krishan will be at Lucknow.

R. B. CHARI
Registrar General, India and
ex-officio Joint Secy.

FINANCE COMMISSION

New Delhi, the 22nd August 1977

No. 7 FC 9(18)-A/77.—On transfer from the Ministry of Commerce Shri S. Bhaskaran, a Grade 'C' Stenographer of CSSS of the Cadre of the Ministry of Finance has been appointed as Senior P.A. in the Seventh Finance Commission on usual deputation terms, in the scale of Rs. 650—1040 with effect from the forenoon of 18th August, 1977 until further orders.

P. L. SAKARWAL
Under Secy.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ANDHRA PRADESH-I

Hyderabad, the 22nd August 1977

No. EB-I/8-132/77-78/212.—Sri T. Lakshminarayana Accounts Officer, Office of the Accountant General, Andhra Pradesh-I, Hyderabad, has retired from service w.e.f. 31-7-1977 A.N.

No. E.B.I/8-312/77-78/214.—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri M. Santasiva Rao a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 17th August 1977 AN until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

No. E.B.I/8-312/77-78/216.—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri D. Parbinathan a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 19th August 1977 FN until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

S. R. MUKHERJEE
Senior Deputy Accountant General (Adm.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, MAHARASHTRA-I

Bombay-400020, the 20th August 1977

No. Admn.I/IAD/PF-91/CSB/R.K./11.—Shri C. S. Balsubramanian, Substantive Accounts Officer and Shri R. Krishnamurthy, an officiating Accounts Officer of this Office are deemed to have resigned from service with effect from 1st September 1976 (F.N.) and 1st October 1976 (F.N.) respectively, consequent on their permanent absorption in Fertiliser Corporation of India.

2. The President of India has been pleased to sanction the permanent absorption of S/Shri C. S. Balsubramanian and R. Krishnamurthy in Fertiliser Corporation of India, with effect from 1st September 1976 (F.N.) and 1st October 1976 (F.N.) respectively, on the terms and conditions intimated under the Comptroller and Auditor General's Office Letter No. 1815-GE-II/62-77, dated 30th July 1977.

No. Admn.I/IAD/PF-120/VGB/12.—Shri V. G. Bhat, Substantive Accounts Officer of this Office is deemed to have resigned from service with effect from 24th May 1976 (F.N.), consequent on his permanent absorption in Hindustan Paper Corporation Ltd.

2. The President of India has been pleased to sanction the permanent absorption of Shri V. G. Bhat in Hindustan Paper Corporation Ltd. with effect from 24th May 1976 (F.N.), on the terms and conditions communicated under Comptroller and Auditor General's Office Letter No. 1821-GE-II/62-77, dated 30th July 1977.

Smt. R. KRISHNAN KUTTY
Sr. Dy. Accountant General/(Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ORISSA

Bhubaneswar-751001, the 12th July 1977

No. Admn.-1-29(Con)-1374(13).—The Accountant General, Orissa has been pleased to appoint substantively the following officiating Accounts officers of this office in the cadre of Accounts Officer with effect from the date as noted against each.

Their confirmations are without prejudice to the claims of their seniors who have not been appointed as such so far and for whom vacancies have been kept reserved.

1. Sri K. Tripathy 1-3-1977.

2. Sri N. K. Pat, 1-5-1977.

R. S. SHARMA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT,

DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 25th August 1977

No. 2621/A.Admn/130/77.—The Director of Audit, Defence Services, is pleased to appoint Shri A. S. Ranganathan, Substantive member of the S.A.S. to officiate as Audit Officer in the office of the Sr. Dy. Director of Audit, Defence Services, Western Command, Meerut, with effect from 20-7-77 (FN) until further orders.

K. B. DAS BHOWMIK
Sr. Dy. Director of Audit,
Defence Services

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE
DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 22nd August 1977

No. 42/77/G.—On attaining the age of superannuation (58 years), Shri K. C. Bhattacharya, Offg. Officer Supervisor (Subst. & Permt. Superintendent), retired from service with effect from 31st May 1977 (A/N).

No. 43/77/G.—On attaining the age of superannuation (58 years), Shri R. Dasgupta, Offg. T.S.O. (Subst. & Permt. Foreman), retired from service with effect from 30th April 1977 (A/N).

No. 44/77/G.—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers as Ty. Assistant Manager with effect from the dates shown against each, until further orders:—

(1) Shri Ravindra Jaya Krishna Bhatikar	1st June, 1977 (F.N.)
(2) Shri Bireswar Bandyopadhyay	11th March, 1977 (F.N.
(3) Shri Umesh Chander Bahl	1st April, 1977 (F.N.)
(4) Shri Nilay Kumar DE	30th May, 1977 (F.N.)
(5) Shri Swapan Kumar Bandyopadhyay	27th June, 1977 (F.N.)
(6) Shri Rajat Kanti Sinha	11th April, 1977 (F.N.)
(7) Shri Bijai Chandra Singh Rathore	2nd March, 1977 (F.N.)
(8) Shri Madan Mohan Barik	14th March, 1977 (F.N.)
(9) Shri Gajendra Nath Ray	11th April, 1977 (F.N.)

M. P. R. PILLAI
Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

Hyderabad-500004, the 27th May 1977

CANCELLATION ORDER

File No. S-70/SSI/SI.22/AM.76/HYD/720.—M/s Sanitex, 11-5-109/3, Red Hills, Hyderabad A.P. was granted import licence No. P/S/1824077/C/XX/60/W/41-42, dated 23rd August 1976 for Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). They have now applied for issue of duplicate copy of 'Customs Purposes and Exchange Control Purposes' copy of the above licence on the ground that the original copies have been lost/misplaced without having been utilised at all.

(2) The applicant has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under Para 320, read with Appendix-8 of Imports Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78. I am satisfied that original Customs Purpose copy and Exchange Control copy have been lost/misplaced.

(3) In exercise of the powers conferred on me under Clause 9(cc) of Import (Control) Order, 1955 dated 7th December 1955 as amended upto date. I order the cancellation of CUSTOMS PURPOSE COPY AND EXCHANGE CONTROL COPY of Licence No. P/S/1824077/C/XX/60/W/41-42, dated 23rd August 1976.

(4) The applicant's case will now be considered for the issue of 'Duplicate' Customs Purpose and Exchange Control copies of the above licence in accordance with Para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78.

R. C. S. MENON
Dy. Chief Controller of Imports and Exports

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 23rd August 1977

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1223/77-Admn(G)/6067.—The President is pleased to appoint Shri C. M. Radhakrishnan Nair, JPS formerly Dy. Inspector General of Police, C.B.I., as Additional Chief Controller of Imports and Exports in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi with effect from the afternoon of the 12th August 1977 until further orders.

K. V. SESHADRI
Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 26th August 1977

No. 6/1179/77-ADMN(G)/6161.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri Hira Lal Aswal as Controller of Imports and Exports Class-II in this office in an officiating capacity with effect from the afternoon of 30th June 1977, until further orders.

2. As Controller of Imports and Exports Shri Aswal will draw his pay according to rules in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB —880—40—1000— EB—40—1200.

V. K. MEHTA
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 24th August 1977

No. A-1/1(590).—Shri G. N. Mitra, permanent Junior Progress Officer and officiating as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals, Calcutta retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July 1977 on attaining the age of superannuation (58 years).

KIRAT SINGH
Deputy Director (Admn.)
for Director General, Supplies and Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPTT. OF MINES)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 23rd August 1977

No. 4391/8/2222(SPB)/19A.—Shri Satya Prakash Bharatiya is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in

the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 4th July 1977, until further orders.

V. K. S. VARADAN
Director General

Calcutta-700016, the 24th August 1977

No. 4407/B/2181(1)VI/19B.—Shri A. D. Peshave, Senior Technical Assistant (Chem.) of Geological Survey of India has been appointed by the Director General, Geological Survey of India on *ad-hoc* basis as Assistant Chemist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- with effect from the forenoon of 18th May 1977, until further orders.

S. V. P. IYENGAR
Dy. Director General
for Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 22nd August 1977

No. A19012(52)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri Churamani Pal to the post of Junior Mining Geologist in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 20th July 1977 until further orders.

L. C. RANDHIR
Head of Office

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 22nd August 1977

No. C-5263/594.—Shri Kishan Singh, Technical Assistant Map Reproduction (Selection Grade) is appointed to officiate as Assistant Manager, Map Reproduction (GCS Group 'B') in the Survey of India in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 19th July 1977 until further orders and posted to No. 105 (DLI) Printing Gp (Survey Air Directorate), New Delhi.

K. L. KHOSLA
Major General,
Surveyor General of India

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 26th August 1977

No. 10/63/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri R. K. Malaviya to officiate as Assistant Engineer at the office of Regional Engineer (North), All India Radio, New Delhi with effect from 30th May 1977.

The 30th August 1977

No. 10/57/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri S. P. Kashinath to officiate as Assistant Engineer at All India Radio, Bhadravati with effect from 27th June 1977.

No. 10/73/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri N. Sankaradasan to officiate as Assistant Engineer at All India Radio, Bhopal with effect from 13th July 1977.

No. 10/77/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri A. C. Rajaraman to officiate as Assistant Engineer at Doordarshan Kendra, Srinagar with effect from 15th July 1977.

The 31st August 1977

No. 10/65/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri Surjit Singh to officiate as Assistant Engineer at H.P.T., All India Radio, Kingsway, Delhi with effect from 25th June 1977.

No. 10/66/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri H. L. Govindaraju to officiate as Assistant Engineer at Regional Engineer (South), All India Radio, Madras with effect from 1st July 1977.

No. 10/70/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri Suresh Sharma to officiate as Assistant Engineer at Research Department, All India Radio, New Delhi with effect from 18th May 1977.

HARJIT SINGH
Dy. Director of Administration,
for Director General

New Delhi-1, the 30th August 1977

No. 5(43)/70-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Nellcyda Shabong formerly Transmission Executive, All India Radio, Shillong as Programme Executive All India Radio, Shillong in a temporary capacity with effect from 1st August 1977 and until further orders.

No. 5(111)/70-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri C. Rajgopal formerly Transmission Executive, All India Radio, Hyderabad as Programme Executive, All India Radio, Hyderabad in a temporary capacity with effect from 3rd August 1977 and until further orders.

No. 5(8)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Dhiranjan Malvey formerly Transmission Executive, All India Radio, Patna as Programme Executive, All India Radio, Bhagalpur in a temporary capacity with effect from 28th June 1977 and until further orders.

No. 5/37/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Satish Prakesh Sexena, as Programme Executive, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Ahmedabad in a temporary capacity with effect from 19th July 1977 and until further orders.

No. 4(11)/76-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Anil Dinkar Kokshik, formerly Technical All India Radio, Dibrugarh in a temporary capacity with effect from 1st August 1977 and until further orders.

No. 4/11/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Anil Dinkar Kowshik, formerly Technical Assistant in the Department of Science and Technology, as Programme Executive, All India Radio, Panaji in a temporary capacity with effect from 9th August 1977 and until further orders.

No. 4(13)/77-SI.—The Directorate General, All India Radio hereby appoints Shri Surinder Singh Agyal as Programme Executive All India Radio, Rampur in a temporary capacity with effect from the 18th August 1977 and until further orders.

No. 4/65/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Mohan Lal Raina as Programme Executive, Radio Kashmir, Srinagar, in a temporary capacity with effect from afternoon of 22nd July 1977 and until further orders.

No. 4/79/77-SI.—The Director, General, All India Radio hereby appoints Smt. Vijaya S. Lingsur as Programme Executive, All India Radio, Dharwar in a temporary capacity with effect from 27th June 1977 (AN) and until further orders.

No. 4(84)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. R. Salunke as Programme Executive All India Radio, Panaji in a temporary capacity with effect from the 19th August 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ
Deputy Director of Administration
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

(DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS)

New Delh -11, the 25th August 1977

No. 1/35/77-FFD.—It is hereby notified that in pursuance of Rule 10 of the Rules for the National Film Festival 1977 published in the Directorate of Film Festival Resolution No. 1/6/77-FFD dated the 25th March, 1977, the Central Government on the basis of recommendations submitted by National Jury have decided to give awards to the following films/producers/directors/artists/technicians, namely:—

S. No.	Title of film and language	Name of the Award winner	Award
1	2	3	4
		1. ALL INDIA AWARDS	
FEATURE FILMS :			
1.	**Award for the National Best Feature Film**		
	Mrigayaa (Hindi)	PRODUCER	
		Shri M. K. Rajeshwara Rao C/o Shri Mrinal Sen, 4-E, Motilal Nehru Road, Calcutta-700029.	'Swaran Kamal' and cash prize of Rs. 40,000/- (Rupees forty thousand only).
		DIRECTOR	
		Shri Mrinal Sen, 4-E, Motilal Nehru Road, Calcutta-700029.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only).
2.	**Award for the Best Direction**		
	Pallavi (Kannada)	DIRECTOR	
		Shri P. Lankesh, 15/24, Govindappa Road, Basavanagudi, Bangalroe-4.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only).
3.	**Award for the Best Screenplay**		
	Manthan (Hindi)	SCREENPLAY WRITER	
		Shri Vijay Tendulkar, Kumar Housing Society, Hanuman Road, Vile Parle, Bombay.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
4.	**Award for the Best Actor**		
	Mrigayaa (Hindi)	ACTOR	
		Shri Mithun Chakraborty 603, Bhano Apartments, Ruia Park Road, Gandhigram, Juho, Bombay-400054.	'Rajat Kamal' and (a cash prize of Rs. 10,000-(Rupess ten thousand only).
5.	**Award for the Best Actress**		
	Sila Nerangalil Sila Manithargal (Tamil)	ACTRESS	
		Smt. Lakshmi Plot No. 4-A, Seethamma Road, Madras-600018.	'Rajat Hamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
6.	**Award for the Best Child Actor**		
	Chitchor (Hindi)	CHILD ACTOR	
		Master Raju, 11, Rehmat Bai Habib House, Room No. 20, Noroji Hill Road No. 2, Dongri, Bombay-9.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
7.	**Award for the Best Cinematography (colour)**		
	Rishya Shrinna (Kannaga)	CAMERAMAN	
		Shri S. Ramachandra 129 Upstairs, 7th Main IV Block, Jayanagar Bangalore.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only.)
8.	**Award for the Best Cinematographg (B & W)**		
	Mohiniyattom (Malayalam)	CAMERAMAN	
		Shri Nivas C/o Kavitha Art Pictures, 4799 Annanagar, Madras-600040.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
9	**Award for the Best Sound Recording**		
	Bhakta Kannappa (Telugu)	SOUND RECORDIST	
		Shri S. P. Ramanathan Prasad Studios Madras-600026.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
10.	**Award for the Best Editing**		
	Siri Siri Muvva (Telugu)	EDITOR	
		Shri K. Babu Rao 24, Ramalingeswara Koil Street, Madras-18.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).

11. Award for the Best Music Director		
Rishya Shringa (Kannada)	MUSIC DIRECTOR Shri B. V. Karanth 47, 20th Cross 6th Block, Jayanagar, Bangalore-560011.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
12. Award for the Best Male Playback Singer		
Chitchor (Hindi)	MALE SINGER Shri Yesudas Adarsh Nagar, Worli, Bombay-25.	'Rajat Kamal'
13. Award for the Best Female Playback Singer		
Siri Siri Muvva (Telugu)	FEMALE SINGER Smt. P. Suseela Ashok Street Alwerpet, Madras-18.	'Rajat Kamal'
	II. REGIONAL AWARDS	
14. Award for the Best Feature film in Regional languages		
Manthan (Hindi)	PRODUCER M/s. Shyam Benegal Sahyadri Films, Jyoti Studio, Kennedy Bridge, Bombay-400007.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	DIRECTOR Shri Shyam Benegal, 103 Sangam, G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
15. Saaph Abee (Manipuri)	PRODUCER Shri G. Narayan Sharma Keisampat, Imphal.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	DIRECTOR Shri A. Syam Sharma, Thangmeiband, Imphal.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
16. Sesha Sravan (Oriya)	PRODUCER M/s Sri Jagannath Films Grand Road Puri (Cuttack).	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rupees 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	DIRECTOR Shri Prasanta Kumar Nanda, Keshorpur, Cuttack-1.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
17. Manimuzhakkam (Malayalam)	PRODUCER Shri K.P. Thomas 'Designers' M.G. Road, Cochin-682011.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	DIRECTOR Shri P. A. Backer, Care 'Designers' M. G. Road, Cochin-682011.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
18. Ek Je Chhilo Desh (Bengali)	PRODUCER Shri R. N. Malhotra Shri R. K. Kapur Shri V.K. Kapur 11, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	DIRECTOR Shri Tapan Sinha 675, Block 'O', New Alipore, Calcutta.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
19. Voorammadi Bathukulu (Telugu) . .	PRODUCER Art Enterprises Vikram Nivas 6423 (8-2-443) Kummarguda Secunderabad-500003.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	DIRECTOR Shri B. S. Narayana 2-C, Rajaram Colony Kodambakkam Madras-600024.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).

(1) (2)	(3)	(4)
20. Pallavi (Kannada)	PRODUCER Shri K. S. Indira Lankesh 15/24, Govindappa Road, Basuavanagudi Bangalore-4.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
21. Putala Ghar (Assamese)	PRODUCER & DIRECTOR Shri Samarendra Narayan Dev, P.O. Mangaldai Assam.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only).
	III. SHORT FILMS	
22. Best Educational/Instructional Film (Documentary)		
Marvel of Memory (English)	PRODUCER Films Division 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-26.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
	DIRECTOR Shri N. K. Issar Films Division 24, Dr. G. Deshmukh Mrarg, Bombay-26.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 4,000/- (Rupees four thousand only).
23. Best Social Documentation Film		
Poverty to Prosperity (English)	PRODUCER & DIRECTOR Shri Mohan Wadhwani 21 Casablanca, 39, Cuffe Parade, Colaba, Bombay-400005.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
24. Best Promotional Film (Non-commercial)		
A New World of Power (English)	PRODUCER & DIRECTOR Shri S. Sukhdev 14 Rock House, Worli Hill Road, Worli, Bombay-18.	'Rajat Kamal'
25. Best Promotional Film (Commercial)		
Sugar Beet (English))	PRODUCER Films Divsion, 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.	'Rajat Kamal'
	DIRECTOR Shri D. Gautaman Films Division 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.	'Rajat Kamal'
26. Best Experimental Film		
Murder at Monkey Hill (Hindi)	PRODUCER The Director Film & TV Institute of India, Law College Road, Pune-411004.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
	DIRECTOR Shri Vinod Chopra 35-A, Wazir Bagh Srinagar-190002.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 4,000/- (Rupees four thousand only).
27. Bestnewsreel Cameraman		
Indian News Review No. 1462 (English)	CAMERAMAN Shri Abnashi Ram Films Division 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.	'Rajat Kamal' and a cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
28. Best Indian New Review		
Indian News Review No. 1459 (English)	PRODUCER Film Division 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.	'Rajat Kamal' and a cash Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).
	IV DADA SAHEB PHALKE AWARD	
	Smt. Kanan Devi, 1, Regent Grove Calcutta-700040.	'Swaran Kamal' a cash prize of Rs. 20,000 and a Shawl.

V. K. Katara,
Director of Films

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

(DRUGS SECTION)

New Delhi, the 24th August 1977

No. A-12026/8/77-D.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Director General of Health Services is pleased to appoint Shri V. Radhakrishnan, Senior Scientific Assistant in the Directorate General of Health Services, New Delhi to the post of Technical Officer, Central Drugs Standard Control Organisation, Visakhapatnam, with effect from the forenoon of the 16th July 1977 in a temporary capacity and until further orders.

S. S. GOTHOSKAR
Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

New Delhi, the 23rd August 1977

No. A.12025/29/76(NMEP)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Bharat Bhushan Uppal to the post of Assistant Malaria Engineer at the National Malaria Eradication Programme, Delhi, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 30th July 1977 and until further orders.

No. A.12025/33/76-(HMD)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Dhrendra Kumar Kenswar to the post of Clinical Psychologist in the Central Institute of Psychiatry, Ranchi, with effect from the forenoon of 2nd August 1977, in a temporary capacity and until further orders.

No. A.12025/39/76-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Mohd Ikram in the post of Assistant Public Health Engineer at the Rural Health Training Centre, Najafgarh, Delhi, with effect from the forenoon of the 23rd July 1977, on a temporary basis, and until further orders.

No. A.12026/11/77(SJ)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to apnoint Smt. Sneh Lata Mittar, Physiotherapist in Safdarjang Hospital, New Delhi, to the post of Senior Physiotherapist in the same Hospital, with effect from the forenoon of the 6th June 1977 to the afternoon of the 22nd August 1977 (47 days) on *ad-hoc* basis *vice* Smt. S. Passi on leave.

No. A.38013/1/77(HQ)Admn.I.—The Government of India announce with profound regret the death of Shri U. S. Shambi, Assistant Architect. Directorate General of Health Services, on the 21st July 1977.

The 24th August 1977

CORRIGENDUM

No. A.32014/2/77(SJ)Admn.I.—In this Directorate's Notification No. A.32014/2/77(SJ)Admn.I, dated 11th July 1977, regarding the appointment of Smt. S. Passi as Senior Physiotherapist, Safdarjang Hospital, New Delhi, for "25th February 1977", *read* "25th June 1977".

No. A.12026/8/77(NTI)Admn.I.—Consequent on his transfer from the Department of Statistics, Shri K. Srikantan, Deputy Director, Central Statistical Organisation, assumed charge of the post of Senior Statistical Officer at the National Tuberculosis Institute, Bangalore, with effect from the forenoon of the 30th May 1977.

The 27th August 1977

CORRIGENDUM

No. 17-13/75-Admn.I.—For the date 25th January 1977 appearing in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health)'s notification No. 17-13/75-Admn.I. (Estt. I), dated 24th February 1977 *read* "4th March 1976".

S. P. JINDAL
Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 24th August 1977

No. A.11017/2/76-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Madhurlata Ahluwalia to the post of Homoeopathic Physician in Central Government Health Scheme at Calcutta on temporary basis with effect from the forenoon of 20th June 1977.

N. S. BHATIA
Deputy Director Administration (CGHS)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400001, the 3rd August 1977

No. DPS/23(6)/77-Adm.—Director, Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints the following Store keepers of this Directorate to officiate as Assistant Store Officer on an *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810 EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 in the same Directorate for period mentioned against each:—

Sl. No.	Name of the Person	Period	Remarks
1.	Shri M.M. Nautiyal	10-1-77 FN to 12-2-77 AN	Vice Shri V.K. Bokil, ASO, Stores Unit (DPS) Prefre, Tarapur appointed as Stores Officers.
		16-5-77 FN to 24-6-77 AN	Vice Shri V.K. Bokil, ASO granted leave.
2.	Shri N. Y. Arekar	25-4-77 FN to 31-5-77 AN	Vice Shri V. P. Tilloo ASO, Stores Unit (DPS) TAPS, Tarapur granted leave.
3.	Shri B. S. Sharma	26-4-77 FN to 4-6-77 AN	Vice Shri B.D. Kandpal, ASO, Stores Unit (DPS) NAPP, Narora appointed as Stores Officer.

B. G. KULKARNI
Assistant Personnel Officer

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Anushakti, the 25th August 1977

No. RAPP/Rect/2(11)/77/765.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri K. P. Tandon, a quasi-permanent Upper Division Clerk of Rajasthan Atomic Power Project and presently officiating as Welfare-*cum*-Public Relations Officer on *ad hoc* basis to officiate as Public Relations Officer in a temporary capacity in this Project with effect from the forenoon of 29th July 1977.

GOPAL SINGH
Administrative Officer (E)

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 22 August 1977

No. AMD-4/3/77-Adm.—The undermentioned officers of Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy are appointed in a substantive capacity against the permanent posts shown against their names with effect from the date noticed against each :—

Sl. No.	Name & Designation of the officers	Permanent post against which confirmed	Date from which confirmed	Remark
1	2	3	4	5
1.	Shri G. Paul, Scientific Officer Grade SO/SB	Scientific Officer Grade SO/SB (Rs. 650-1200)	1-3-1977	
2.	Shri P.D. Bajaj Scientific Officer Grade SO/SB	Scientific Officer Grade SO/SB (Rs. 650-1200)	1-3-1977	
3.	Shri M.S. Zacharia Scientific Officer Grade SO/SB	Scientific Officer Grade SO/SB (Rs. 650-1200)	1-3-1977	
4.	Shri G.S. Sapthagiri Scientific Officer Grade SO/SB	Scientific Officer Grade SO/SB (Rs. 650-1200)	1-3-1977	

No. AMD-4/3/77-Adm.—Shri V. V. Nadkarni, Scientific Officer/SC in Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy is appointed in substantive capacity against the permanent post of Scientific Officer/SB in the same division with effect from 1st March 1977.

G. R. UDAS
Director, Atomic Minerals Division

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 11th August 1977

No. A. 32023/1/77/R-13138.—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints Shri K. M. Velayudhan, an officiating Assistant Accountant of this Centre in an officiating capacity on an *ad-hoc* basis as Assistant Accounts Officer for the period from 27th June 1977 to 23rd July 1977. Shri Velayudhan relinquished charge of the post of Assistant Accounts Officer and assumed charge of Assistant Accountant on the afternoon of July 23, 1977.

No. A.32023/1/77/R-13139.—In continuation of this Centre's Notification No. RRC-II-1(26)/72-10774, dated 28th June 1977, the Project Director, Reactor Research Centre hereby extends the period of appointment of Shri R. Rajamani, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accounts Officer of this Centre as Accounts Officer-II in an officiating capacity on an *ad hoc* basis for the period from 17th July 1977 to 23rd July 1977. Shri R. Rajamani relinquished charge of the post of Accounts Officer-II and assumed charge of the post of Assistant Accounts Officer on the afternoon of July 23, 1977.

K. SANKARANARAYANAN
Sr. Administrative Officer
for Project Director

DEPARTMENT OF SPACE

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

SPACE APPLICATIONS CENTRE

Ahmedabad-380053, the 11th August 1977

No. SAC/EST/TESC/11/77.—The Director is pleased to appoint Shri Dhiren R. Shah as Engineer EB in a temporary capacity in the Space Applications Centre of Indian Space Research Organisation, Department of Space with effect from January 21, 1977 until further orders.

S. G. NAIR
Head, Personel & Gen. Admn.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 25th August 1977

No. A. 32013/9/77-E.I.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Chandrasekhar, Deputy Director, Research & Development as Director, Research and Development in the Civil Aviation Department for a period from the 1st June 1977 to the 16th July 1977 purely on *ad-hoc* basis.

C. K. VATSA
Assistant Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 25th August 1977

No. A-32012/3/77-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri R. Sreenivasan, Superintendent, as Administrative Officer (Group B Post) on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 11th July 1977 in the Office of the Regional Director, Madras *vice* Shri Sher Singh, Administrative Officer (Ad-hoc) granted leave.

No. A.32012/3/77-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri M. C. Mahay, Superintendent, as Administrative Officer (Group B Post) on *ad-hoc* basis w.e.f. the 25th July 1977 in the Office of the Principal, Civil Aviation Training Centre, Bamrauli, Allahabad.

V. V. JOHRI
Assistant Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 21st August 1977

No. A-39013/5/77-EA.—Shri V. D. Parmar, Asstt. Aerodrome Officer Bombay Airport, Bombay resigned from Government service with effect from the 11th August 1977 AN.

P. C. JAIN
Asstt. Director of Administration

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Kanpur, the 6th August 1977

No. 107/77.—Shri G. P. Srivastava, officiating Superintendent, Central Excise, Group 'B' formerly posted at Central Excise Division, Aligarh having been compulsorily retired under F.R. 56(j) with effect from 24th December 1975 (Afternoon), by giving him three months pay and allowances in lieu of notice vide order issued under endorsement C. No. II(3)Confl/61/75/HAC/pt/33015, dated 20th December 1975 handed over the charge of his post in the FN/AN of 24th December 1975 to Sri Gulab Singh, Supdt. C. Ex. Aligarh and retired from Government Service w.e. from 24th December 1975 (FN/AN). He will remain on leave beyond the date of compulsory retirement upto 21st November 1977 and will get leave salary reduced by the amount of pension and pension equivalent of other retirement benefits as provided in Rule 40(7) (a) of Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 excepting for the period of leave which runs concurrently with the period for which pay and allowances have been paid in lieu of notice. For such period no leave salary is admissible.

The 25th August 1977

No. 116/77.—Shri Ram Swarup Sharma, Officiating Superintendent Central Excise, Group 'B' Agra handed over the charge of Superintendent of Central Excise, Agra in the afternoon of 31st January 1977 to Shri O. N. Chauhan, Superintendent Central Excise, Agra and retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31st January 1977.

No. 117/77.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent Central Excise, Group 'B' *vide* Collector, Central Excise, Kanpur/Allahabad's Estt. Order No. I/A/97/77, and I/A/203/77, dated 31st March 1977 and 24th June 1977 respecvitely issued under endt. C. No. II(39)97-ET/77/14266, dated 31st March 1977 and II-140-Estt/76/Pt./28653, dated 24th June 1977 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, Shri H. S. Virk, Inspector (S.G.) Central Excise assumed the charge of Superintendent (Customs) Bharat Heavy Electricals Ltd. Hardwar in the forenoon of 7th July 1977.

K. S. DILIPSINHJI
Collector

DIRECTORATE OF INSPECTION AND AUDIT

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 29th August 1977

No. 8/77.—Shri E. D. Srinivasan lately posted as Superintendent Central Excise Group 'B' in Madras Central Excise Collectorate, assumed charge as Inspecting Officer (Caustoms and Central Excise) Group 'B' in the Central Regional unit of the Directorate of Inspection and Audit, Customs and Central Excise at Hyderabad on 10th August 1977 forenoon).

The 27th August 1977

No. 9/77.—Shri M. D. Chaudhary, lately posted as Superintendent Central Excise Group 'B' in Kanpur Central Excise Collectorate assumed charge of the post of Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'B' in the Headquarters office of the Directorate of Inspection and Audit, Customs and Central Excise at New Delhi on 20th August 1977 (Forenoon).

S. VENKATARAMAN
Director of Inspection

NORTH-EAST FRONTIER RAILWAY

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

(PERSONNEL BRANCH)

Gauhati-781011, the 25th August 1977

No. E/55/III/95 Pt. II(O).—Shri M. C. Bhattacharjee is confirmed in Class II service as Assistant Controller of Stores with effect from 1st November 1976.

G. H. KESWANI
General Manager

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 30th August 1977

No. 12.—Shri J S. Gupta, officiating, Senior Civil Engineer, Lucknow of this Railway retired from Railway Service with effect from the afternoon of 31st July 1977.

J. N. KOHLI,
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES,

In the matter of the Companies Act, 1956 *and of Anupam Shoe Company Private Ltd.*

Kanpur, the 22nd August 1977

No. 7637/2943-IC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Anupam Shoe Company Private Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 *and of Trivedi Typewriter Corporation Private Limited*

Kanpur, the 22nd August 1977

No. 7673/1851-LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Trivedi Typewriter Corporation Private Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 *and of The Agra Trade Association Limited*

Kanpur, the 22nd August 1977

No. 7674/339-LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the The Agra Trade Asociation Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. NARAYANAN
Registrar of Companies, U.P.
Kanpur

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of Assam Associated Agency Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No. 15196/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of Assam Associated Agency Private Limited has this day been struck off and the said company is dossolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of Finnacs Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No. 19765/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of Finnacs Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of Poddar Packaging Industries Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No. 28876/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Poddar Packaging Industries Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of India Weighing Scales and Engineering Co. Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No. 20123/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of India Weighing Scales and Engineering Company Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of Kakashnath Rai Bansh Dharrai Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No. 19624/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Kailash Nath Rai Banshi Dharrai Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of Education Promoting Financiers Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No 26961/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of Education Promoting Financiers Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 *and of Clothiers Private Limited*

Calcutta, the 22nd August 1977

No. 24933/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of Clothiers Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

S. C. NATH
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act 1956 *and of Pudukkothai Viyaparigal Sangam*

Madras-6, the 22nd August 1977

No. 2120/560(3)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 ( ) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Pudukothai Viyaparigal Sangam unless clause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of Companies Act 1956 *and of Pandian Corporation Limited*

Madras-6, the 22nd August 1977

No. DN/2099/560(3)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 ( ) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Pandian Corporation Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 *and of M/s. Pollachi Trading Corporation Private Limited*

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 2049/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Pollachi Trading Corporation Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Sri Krishna Mercantile Agency Private Limited

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 2439/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Sri Krishna Mercantile Agency Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Vasuki Chit Funds Limited

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 5729/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Vasuki Chit Funds Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. A. H. M. Chit Funds Private Limited

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 5757/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. A. H. M. Chit Funds Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. The United Polyester and Allied Industries Private Limited

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 6043/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s The United Polyester and Allied Industries Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of Rajam Chit Fund Private Limited

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 6687560(3)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Rajam Chit Fund Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

K. PANCHAPAKESAN
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Madras

In the matter of Companies Act, 1956, and of Coonoor Talkies Private Limited (In Liquidation)

Madras-6, the 25th August 1977

No. 3391/LIQ/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956 that the name of Coonoor Talkies Private Limited (In Liquidation) has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Manivannan Roadways Private Limited

Madras-600006, the 26th August 1977

No. 5313/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manivannan Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Puthu Ira Farms Private Limited

Madras-600006, the 29th August 1977

No. 5213/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Puthu Ira Farms Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

C. ACHUTHAN
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Madras

In the matter of Companies Act, 1956, *and of Kiki Baba Loans Private Limited (In Liquidation)*

New Delhi-110001, the 25th August 1977

No. Liqn/3264/15169.—Whereas Kiki Baba Loans Private Limited (In Liquidation) having its registered office at 9-B, Sunder Nagar Market, New Delhi is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting and the statements of accounts u/s 551 required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of Kiki Baba Loans Private Limited will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

R. K. ARORA
Asstt. Registrar of Companies
Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Ojas Agencies Private Limited

Ahmedabad, the 29th August 1977

No. 549/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ojas Agencies Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Luna Tubes Private limited

Ahmedabad, the 29th August 1977

No. 2486/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Luna Tubes Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

J. G. GATHA
Registrar of Companies
Gujarat

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Patna, the 18th July 1977

No. GC-2-II-2/74.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Seciton 124 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Income-tax Bihar-I, Patna hereby directs that with effect from 25-7-1977 the Income-tax Officers mentioned in Column I below shall perform all functions in respect of the persons or classes of persons as mentioned in Column II below.

SCHEDULE

Column-I	Column-II
1. Income-tax Officer, Ward-F, Circle-I, Patna.	(i) All persons or classes of persons within the Municipal Wards No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 within the Sadar of Sub-Division of the revenue district of Patna, who have not hitherto been assessed and who have either filed returns voluntarily or have been discovered as a result of Survey operations excluding those where the business has been commenced as a result of splitting up of an existing business or profession and also excluding those cases where first returns disclose an income of Rs. 25,000/- and above. (ii) All persons who are partners in the firms falling under item (i) above.
2. Income-tax Officer, Ward-G, Circle-I, Patna.	(i) All persons or classes of persons within the Municipal Wards No. 1, 2, 3, and 33, 34, 35, 36 and 37 within the Sadar Sub-Division of the revenue district of Patna who have not hitherto been assessed and who have either filed returns voluntarily or have been discovered as a result of Survey operations excluding those where the business has been commenced as a result of splitting up of an existing business or profession and also excluding those cases where first returns disclose an income of Rs. 25,000/- and above. (ii) All persons who are partners in the firms falling under item (i) above.

Provided that the above Income-tax Officers shall also hold jurisdiction over such cases as are or may hereafter be assigned to them under section 127 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and they shall not hold jurisdiction over such cases as fall within the jurisdiction of any other Income-tax Officer and also over such cases as are or may hereafter be specifically assigned to any Income-tax Officer u/s 127 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961).

Provided that where the assessee is a partner in more than one firm, the Income-tax Officer assessing the oldest constituted firm of which he is a partner, shall hold jurisdiction over him.

No. GC-2-II-2/74.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) the Comissioner of Income-tax Bihar-I, Patna hereby directs that with effect from 25-7-1977 the income-tax Officer mentioned in Column I below shall perform all functions in respect of the persons or classes of persons as mentioned in Column II below.

SCHEDULE

Column-I	Column-II
1. Income-tax-Officer, Ward-F, Circle-I, Patna.	(i) All persons or classes of persons within the Municipal Wards No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 within the Sadar of Sub-Division of the revenue district of Patna, who have not hitherto been assessed and who have either filed returns voluntarily or have been discovered as a result of Survey operations excluding those where the business has been commenced as a result of splitting up of an existing business or profession and also excluding those cases where first returns disclose an income of Rs. 25,000/- and above. (ii) All persons who are partners in the firms falling under item (i) above.
2. Income-tax Officer, Ward-G, Circle-I, Patna.	(i) All persons or classes of persons within the Municipal Wards No. 1, 2, 3, and 33, 34, 35, 36 and 37 within the Sadar of Sub-Division of the revenue district of Patna who have not hitherto been assessed and who have either filed returns voluntarily or have been discovered as a result of Survey operations excluding those where the business has been commenced as a result of splitting up of an existing business or profession and also excluding those cases where first returns disclose an income of Rs. 25,000/- and above. (ii) All persons who are partners in the firms falling under item (i) above.

Provided that the above Income-tax Officers shall also hold jurisdiction over such cases as are or may hereafter be assigned to them under section 127 of theI.T. Act, 1961 (43 of 1961) and they shall not hold jurisdiction over such cases as fall within the jurisdiction of any other Income-tax Officer and also over such cases as are or may hereafter be specifically assigned to any Income-tax Officer u/s 127 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961).

Provided that where the assessee is a partner in more than one firm, the Income-tax Officer assessing the oldest constituted firm of which he is a partner, shall hold jurisdiction over him.

No. GC-2-II-2/74.—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of section 124 of the I. T. Act, 1961 (43 of 1961) the Commissioner of Income-tax, Bihar-I, Patna hereby directs that with effect from 25-7-1977 the Income-tax Officer mentioned in Column 1 of the scheduled below shall perform all functions in respect of the person or classes of persons as mentioned in column 2 thereof.

SCHEDULE

Col. 1	Col. 2
1	2
1. Income-tax Officer, Ward-C, Circle-II, Patna.	(i) All persons or classes of persons within the Patna City, Barh and Dinapur Sub-division of the revenue district of Patna who have not hitherto been assessed and who have either filed returns voluntarily or have been discovered as a result of Survey operations excluding those where the business has been commenced as a result of splitting up of an existing business or profession and also excluding those cases where the first returns disclose an income of Rs. 25,000/- and above. (ii) All persons who are partners in the firms falling under item (i) above.

provided that the abve Income-tax Officer shall also hold jurisdiction over such cases as are or may hereafter be assigned to them u/s 127 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and they shall not hold jurisdiction over such cases as fall within the jurisdiction of any other income tax Officer and also over such cases as are or may hereafter be specifically assigned to any Incom-tax Officer u/s 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

Provided that where the assessee is a partner in more than one firm, the Income-tax Officer assessing the oldest constituted firm of which he is a partner, shall hold jurisdiction over him.

S. R. KHARABANDA
Commissioner of Income-tax, Bihar-I, Patna.

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 423.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing RS No. 340/2B situated at Rajahmundry (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Rajahmundry on 3-1-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely : –

(1) P. Sreeramachandra Murty, S/o. Suryanarayana, I.L.T.D. Co., Chirala.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ramchand Mulchand, S/o. Mulchand.
2. Smt. Neelu, W/o Narayandas, Mochi St., Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 19/77 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 15-1-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref No. Acq. F. No 424.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
RS No 340/2B situated at Rajahmundry
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Rajahmundry on 3-1-1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Dealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati G. Kasturi, W/o Jagannadha Rao, Tuni.

(Transferor)

(2) 1. Ramchand Mulchand, S/o Mulchand.
2. Smt. Neelu, W/o Narayanadas, Mochi St., Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 20/77 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 15-1-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 425.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
RS No. 340/2B situated at Rajahmundry
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Rajahmundry on 3-1-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betewen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Penta Suramma, W/o Late Suryanarayana, Chirala.

(Transferor)

(2) 1. Ramchand Mulchand, S/o Mulchand.
2. Smt. Neelu, W/o Narayanadas, Mochi St., Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 21/77 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the Fortnight ended on 15-1-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 426.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 9/146 situated at Main Road, Gudivada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Gudivada on 5-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Parvathaneni Venkateswara Rao, S/o. Venkata Brahma Rao, Nujella, H/o. Seri Velpur, Gudivada. (Transferor)

(2) Shri Vallabhaneni Atchyutaramaiah, S/o. Sobhanadri, Gudlavalleru, Gudivada Taluk. (Transferee)

(3) 1. The Gudivada Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Omkar Press, Prop. M. Gopala Reddy,
3. Laxmi Enterprises, Prop. S. Poorna Chandra Rao,
4. Sri Venkateswara Flour Mill,
5. K. Subrahmanyam, and
6. Sri S. Kamal Basha.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No, 7/77 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the Fortnight ended on 15-1-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 427.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 9/146 situated at Main Road, Gudivada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at at Gudivada on 12-1-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Parvathaneni Gopalakrishna, S/o. Venkata Brahma Rao, Nujella, Gudivada Taluk.

(Transferor)

(2) Shrimati Patibandla Nirmala Devi, W/o Laxmana Rao, Gudivada.

(Transferee)

(3) 1. Gay Lords Laundry,
2. Vijay Calgas Co., Gudivada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 41/77 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the fortnight ended on 15-1-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 428.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 9/146 situated at Main Road, Gudivada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gudivada on 12-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Parvathaneni Gopalakrishna, S/o Venkata Brahma Rao, Nuzella, Gudivada Taluk.
(Transferor)

(2) Shri Patibandla Laxmana Rao, S/o Durga Mallikarjuna Prasada Rao, Gudivada.
(Transferee)

(3) 1. Vijaya Calgas Co.,
2. Durga Tailors, and
3. Sri Laxmi Auto Finances, Gudivada.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 40/77 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the fortnight ended on 1st January 1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 429.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 31-16-10 situated at Machavaram Down Area, Vijayawada
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Vijayawada on 24-1-1977
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Yalamanchili Venkateswara Rao, Kanaka Durga Mill Stores, Convent Street, Vijayawada-1.
(Transferor)

(2) Shri Thondepu Srimannarayana, S/o Seetha Rama Anjaneyulu, Shop No. 90, Vastralata, Vijayawada.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 61/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the fortnight ended on 31st January 1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 25-8-1977.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 25th August 1977

Ref. No. Acq. F. No. 430.—Whereas, I, N. K. Nagarajan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27-17-50, 51 & 52 situated at Governorpeta, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 24-1-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mullukutla Seethamahalakshmi, W/o Late Venkatarama Sarma.
2. Mullunkutla Hari Purna Lakshmana Sarma, S/o Venkatarama Sarma.
3. Mullukutla Gunasundar, D/o Venkatarama Sarma.
4. Mullukutla Arundati, Minor by guardian M. Sithamahalakshmi.
5. Mullukutla Bharathi, Minor by guardian M. Sithamahalakshmi.
6. Mullukutla Satyavathamma, W/o Sivaramakrishnaiah.
7. Jandhyala Seshadri Sastry, S/o. Nagabushanam, C/o. Hariputna Lakshmana Sarma, Clerk, Lashmi Textiles, Besant Road, Vijayawada-2.
8. Kurada Venkataratnam, S/o. Ramachandra Rao, Gudlavalleru, Gudivada Tq.

(Transferor)

(2) Shri Chanumolu Ramarao, S/o. Guravaiah, Sunrise Enterprises, Governorpeta, Vijayawada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as registered before the Sub at No. 69/77 during the fortnight ended on 31-1-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 25-8-77

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II BOMBAY

Bombay, the 20th August 1977

Ref No AR-II/2371 2/Dec 76.—Whereas I, V S MAHAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No S No 4 H No 2 situated at Chuim Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay on 7 12-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (25 of 1927)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely

(1) (1) Anthony Fernandes
(2) Wency Fernandes
(3) Merwyn Fernandes
(4) Tillie Creado nee Fernandes
(5) Gemman Miranda,
(6) Hubert Miranda
(7) Morris Miranda
(8) Stella D'Souza nee Miranda
(9) Sybil Dias nee Miranda
(10) Rose widow of Kenneth D'Mello
(11) Vellie D'Mello
(12) Leo Fernandes
(13) Joe Fernandes
(14) Percy Fernandes
(15) Doris Pereira nee Fernandes
(16) Edna D Sa nee Fernandes, and
(17) Celina Pereira nee Fernandes

(Transferor)

(2) Danda Corner Cooperative Housing Society Limited

(Transferee)

(3) (1) Narendra Desaibhai Patel
(2) Nawalal Harilal Parikh
(3) Vinodrai Jivabhai Patel
(4) Vinod Jaikisandas Choksi
(5) Indravadan Harjivandas Shah
(6) Bhupendra Chhotubhai Patel
(7) Kanubhai Desaibhai Patel
(8) Bhanuchandra Chhotalal Shah
(9) Suresh Ramchandra Barve
(10) Chandra Kant Balvantrao Shah
(11) Purnamchandra Ambalal Vakharia
(12) Narottambhai Maneklal Panchal

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registered Deed No S 559/76 registered on 7-12-1976 with the Sub-Registrar at Bombay

V S MAHAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range II, Bombay

Date 20-8-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE SHILLONG

Shillong, the 26th August 1977

Ref No A 135/Tex/77 78/481-92 —Whereas, I, EGBERT SINGH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing
No DAG No 58, situated at Balichapri Village of Mouza Mahavairov, Tezpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tezpur on 22 2 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely —

(1) (1) Kaji Jalal Uddin
(2) Kaji Kamal Uddin and
(3) Md Hussin of Masjid Road, Tezpur
(Transferor)

(2) Shri Bachhraj Dugar, Mainbazar Road, Tezpur
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring two bigha and sixteen lessa along with one Assam Type house situated at Village Balichapri, Mouza Mahavairov Tezpur Town in the District Darrang, Assam

EGBERT SINGH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong

Date 26 8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 26th August 1977

Ref No A-136/Tez/77-78/495 506 —Whereas, I EGBERT SINGH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing
No P P No. 163 and Dag No 2448 situated at Mouza Mahabairov, Tezpur, Distt Darrang Assam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tezpur on 22-3 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Jaikishandas Mall alias M/s Jaikishendas Mall P 1 216 Mahatma Gandhi Road Calcutta.
(Transferor)

(2) Shri Sohanraj Shingvi, Main Road, Tezpur
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring one bigha three katha and seven lessa of P P No 163 and Dag No 2448 situated at Mouza Mahabairov, Tezpur Town in the District of Darrang, Assam

EGBERT SINGH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong

Date : 26 8 1977
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 30th August 1977

Ref. No. TR-79/C-69/Cal-I/76-77.—Whereas, I, L. K. Balasubramanian,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 50, situated at Chowringhee Road, Calcutta-71.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at 5, Government Place North, Calcutta on 18-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Aelpe Finance Ltd.,
4, Camac Street,
Calcutta-16.

(Transferor)

(2) Sri Parimal Ghosh,
46C, Chowringhee Road,
Calcutta-71.

(Transferee)

(3) Oil & Natural Gas Commission
50, Chowringhee Road, Calcutta-71.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

A portion of the office space on the 2nd floor of 50, Chowringhee Road, area being 2662.28 sq. ft., Calcutta.

L. K. BALASUBRAMANIAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 30-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1704.—Whereas, I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As Per Schedule situated at Lajpat Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Hira Lal S/o. Sh. Amar Nath, H. No. 225, Near Budha Darya, Basti Yodha, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Panna Lal, S/o. Sh. Chuni Lal, 70-Lajpat Nagar, Jullundur City.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 5365 of January, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur

Date : 29-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1705.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Gobind-Garh, Jullundur, and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Jan., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Krishna Devi, W/o. Jagan Nath, H. No. EG/1072, Gobind Garh, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Sat Pal S/o. Sh. Tulsi Ram, H. No. 1072, Gobindgarh, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5275 of January, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 29-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1706.—Whereas, I, B. S Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Krishanpura, Jullundur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb., 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sukh Raj Sharma S/o Sh Wali Ram, Krishan pura, Jullundur City
(Transferor)

(2) Shri Inderjit S/o Sh Amar Chand, N A 245 (BX-326), Krishnapura, Jullundur (City
(Transferee)

(3) As per S No 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Sale Deed No. 6121 of Feb, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B S DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquistion Range
Jullundur.

Date : 29-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1707.—Whereas, I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule, situated at Police Line, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

at Jullundur, on Feb., 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Mrs. Shanta Malhotra W/o. Sh. Wishwa Nath, 525-New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Kanwar Naunihal Singh S/o Sh. Rattan Singh, Jain Market, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6019 of Feb., 1977 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range
Jullundur.

Date : 29-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1708.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. As per Schedule, situated at Basti Sheikh, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb., 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bakhtawar Singh S/o. Sh. Satnam Singh R/o Badala, Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Vir Singh 31-Modern Colony, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter;

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5870 of Feb., 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range, Jullundur.

Date : 29-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1709.—Whereas, I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule, situated at Model Town, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of (1908) in the office of the Registering officer at Jullundur on March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balwant Singh S/o. Sh. Gurbux Singh, Granthi Gurdwara, Bhargav Camp, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Amar Chand, Kewal Krishan Ss/o. Sh. Nanak Chand, 238-R, Model Town, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6405 of March, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range, Jullundur.

Date : 29-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1710.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Tejpur, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb., 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devi Chand S/o Sh. Badri Chand R/o Teipur, Teh : Jullundur.

(Transferor)

(2) M/s. Kochhar Agro Service Centre, Tejpur, Teh Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5801 of Feb., 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 29-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1711.—Whereas, I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule, situated at Helar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb., 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

12—246GI/77

(1) Shri Hari Singh S/o Muluk Singh R/o Vill : Helar, Teh : Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Joginder Singh S/o Sh. Bhagat Singh R/o Helar, Teh : Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 5833 of Feb., 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range, Jullundur.

Date : 29-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th August 1977

Ref. No. AP-1712.—Whereas, I, B. S. Dehiya, being the Competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Mota Singh Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Gurbachan Kaur W/o Sh. Amar Singh, 76 New Jawahar Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Devinder Singh S/o Sohan Singh, Vill : Meham, Teh : Nakodar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6886 of March, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 29-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR, BORING CANAL ROAD, PATNA.

Patna, the 31st August 1977

Ref. No. III-261/Acq/77-78/1074.—Whereas, I, J. NATH, being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M.s. Plot No.—129, H. No.-17 situated at Musium Road Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 3-2-77. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Akhileswar Bansal Siuha S/o Sri Badri Narayan Sinha at Chandauli, P. S. Belsand, Dt. Sitamarhi, presently at Register, Agriculture University Pusa Dt. Samastipur.

(Transferor)

(2) Smt. Ram Sringari Singh W/o Sri Ram Deo Singh at & P.O. Ram nagar P. S. Katra Dt. Muzaffarpur, Presently at Musium Road, Patna-1.

(Transfree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with building area 1 Katha of Musium Road, Patna-1, W. No. 1, Cr. No-5, M.s. Ref No. 129, H. No. 17 and is described in sale deed No 241 dated 3-2-77.

J. NATH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 31-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR, BOARING CANNAL ROAD, PATNA

Patna, the 31st August 1977

Ref. No III-262/Acq/77-78/1075—Whereas, I, J NATH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Khata No -72, Plot No -1439 marked as 1430/A situated at Arrah P. S Ranchi (and more fully described in the schedule), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Ranchi on 18-1-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Sidhartha Indnstries 14-Princep street Calcutta, Through Partners Smt Prem Lata Jhawar W/o Sri Ganga Das Jhawar & Sri Rajendra Kumar Jhawar S/o Sri. Ganga Das Jhawar of 51/E Gariahat Road, Calcutta.

(Transferor)

(2) M/s Swastic Insulated Wires & Strips at Harihat Singh Road Ranchi, through Partners :—Sri Baij Nath Agarwalla S/o Late Shanker Lal Agarwalla of Main Road Jharia, Dt. Dhanbad

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land area 54 dec out of Plot No 1439 marked as 1439/A, Khata No 72 in village Arrah P S /Dt —Ranchi and is described in sale deed 392 dated 18 1-77

J. NATH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 31-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 2nd September 1977

Ref. No. HSR/15/76-77.—Whereas I, R. K. PATHANIA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 3 Kanals 10 1/2 Marla

situated at Hissar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Hissar in December, 1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer ; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Sat Paul
(ii) Shri Vinod Kumar } Sons of Shri Mukand Lal

(iii) Smt. Jawali Bai alias Jawala Devi Wd/o Shri Mukand Lal.

(iv) Smt. Santosh Kumari.
(v) Smt. Satish Kumari. } ds/o Shri Mukand Lal
(vi) Smt. Shashi Kanta
Urf Rani
C/o Shri Mukand Lal Sethia, Anaj Mandi, Abohar (Pb.)

(Transferor)

(2) (i) Shri Krishan Kumar s/o Shri Tek Chand.

(ii) Shri Bhag Chand s/o Shri Balu Ram.

(iii) Shri Sita Ram s/o Shri Gopi Ram.

(iv) Shri Giani Ram s/o Shri Magha Ram
c/o Assam Roadways Corporation, Qutab Road, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 3 Kanals 10 1/2 Marlas, 1/2 share out of total land measuring 7 Kanals 1 Marla comprised in Khasra No. $\frac{1681}{93/1}$ situated at Prem Nagar, Hissar. The property is bounded as under :—

East : Road.
West : Plot of Shri Manmohan Lal.
North : Land of Mandi Anand Devtai.
South : Land owned by Shri Mahadev.

(Property as mentioned in the Registration Deed No. 4835 of December, 1976 of the Registering Authority, Hissar).

R. K. PATHANIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 2-9-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

ROHTAK

Rohtak, the 2nd September 1977

Ref. No. HSR/16/76-77.—Whereas I, R. K. PATHANIA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak
being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land measuring 3 Kanals 10 1/2 Marlas
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hissar in December, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. (i) Shri Sat Pal
   (ii) Shri Vinod Kumar } S/o Shri Mukand Lal.
   (iii) Smt. Jawali Bai alias Jawala Devi wd/o Shri Mukand Lal.
   (iv) Smt. Santosh Kumari.
   (v) Smt. Satish Kumari. } D/o Shri Mukand
   (vi) Smt. Shashi Kanta Uraf Rani Lal
   Sethia, Anaj Mandi Abohar (Punjab).

(Transferor)

2. (i) Shri Mahavir Parshad Bansal s/o Shri Chhaju-Ram.
   (ii) Shri Kashmiri Lal s/o Shri Ram Dhari Bansal.
   (iii) Shri Jagdish Raj Gupta s/o Shri Des Raj Gupta. c/o Bansal Bhawan, Prem Nagar, Hissar.
   (iv) Ch. Kehar Singh s/o Shri Kansi Ram, R/o Gangtok (Sikkim).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respecitve persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 3 Kanals 10 1/2 Marlas, 1/2 share out of total land measuring 7 Kanals 1 Marla comprised in Khasra No. 1681/93/1 situated at Prem Nagar, Hissar. The property is bounded as under :—

East : Road.
West : Plot of Shri Manmohan Lal.
North : Land of Mandi Anand Devtai.
South : Land owned by Shri Mahadev.

(Property as mentioned in the Registration Deed No. 4836 of December, 1976 of the Registering Authority, Hissar).

R. K. PATHANIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 2-9-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 2nd September 1977

Ref. No. BGR/16/76-77.—Whereas I, R. K. PATHANIA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Factory Building along with land situated 14/3 Mile Stone, Mathura Road, Faridabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ballabgarh in December, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Kamani Upaskar Ltd. Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s J. M. A. Industries, 14/6, Mile Stone, Mathura Road, Faridabad Regd. Office, 29, Community Centre, 2nd Floor, East Kailash, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory Building of M/s J. M. A. Industries, situated on 14/3 Mile Stone, Mathura Road, Faridabad, bounded as under :

North : Factory Plot.
South : Factory Building.
East : Mathura Road.
West : Railway Line.

(Property as mentioned in the Registration Deed No. 6020 of December, 1976 of the Registering Authority, Ballabgarh).

R. K. PATHANIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 2-9-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITON RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 2nd September 1977

Ref. No. CHD/66/76-77.—Whereas I, R. K. PATHANIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
SCO No. 85, Sector 47-D, Chandigarh situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in December, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Jagmohan Lal Sondhi.
(ii) Shri Baldev Sahai Sondhi. Ss/o Shri Phagwaria Mal Sondhi, R/o House No. 3014, Sector 27-D, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Pt. Lachhman Dass s/o Pt. Sunder Dass SCF No. 3, Sector 27-D, Chandigarh now residing in SCO 85, Sector 47-D, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCO No. 85, Sector 47-D, Chandigarh, 2 1/2 storeyed measuring 114 sq. yards (Property as mentioned in the Registration Deed No. 657 of December, 1976 of the Registering Authority, Chandigarh).

R. K. PATHANIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 2-9-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 31st August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/882.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A portion of main property at No. 287(Old No. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt. Distt-Mandsaur (M.P.) situated at Neemuch
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Neemuch on 28-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sushila Devi W/o Shri Chandmalji Bansal Agrawal, R/o Danawali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar Chourasia S/o Shri Shankarlal Chourasia, R/o Churi Gali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of main property at No. 287 (Old No. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

R. K. BALI
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 31-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 31st August 1977

Ref. No. I.AC/ACQ/BPL/77-78/883.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing
No. A Part of Main property at No. 287 (Old M. N. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt. Distt-Mandsaur (M.P.) situated at Neemuch
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Neemuch on 28-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sushila Devi W/o Shri Chandmalji Bansal Agrawal, R/o Danawali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferor)

(2) Shri Naresh Kumar S/o Shri Shankarlalji Chourasia, Churi Gali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

A part of main property at No. 287 (Old M. No. 668). Tilak Marg, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 31-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 31st August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/884.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Part of Main property at No. 287 (Old No. 668),
Tilak Marg, Neemuch Cantt. Distt-Mandsaur (M.P.) situated at Neemuch
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Neemuch on 2-8-1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Sushila Devi W/o Shri Chandmalji, Bansal Agrawal, R/o Danawali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferor)

(2) Shri Rameshchandra S/o Shri Shankarlal Chourasia, R/o Churi Gali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A part of main property at No. 287 (Old M. No. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 31-8-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BHOPAL

Bhopal, the 31st August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/885.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A Part of main Property at No. 287 (Old M. No. 668),
Tilak Marg, Neemuch Cantt., Distt. Mandsaur (M.P.) situated at Neemuch
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at
Neemuch on 19-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sushila Devi W/o Shri Chandmalji, Bansal Agrawal, R/o Danawali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.).

(Transferor)

(2) Shri Om Prakash S/o Shri Shankarlal Chourasia, R/o Churi Gali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Part of Main Property at No. 287 (Old M. No. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.).

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 31-8-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 31st August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/886.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
A Part of Main building at No. 287 (Old M. No. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt, (M. P.) situated at Neemuch Distt-Mandsaur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Neemuch on 19-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sushila Devi W/o Shri Chandmalji Bansal Agrawal, R/o Danawali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferor)

(2) Shri Kishorilal S/o Shri Kanhaiyalal Chourasia, R/o Churi Gali, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A part of main building at No. 287 (Old M. No. 668), Tilak Marg, Neemuch Cantt., Distt-Mandsaur (M.P.)

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 31-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Kanpur, the 27th August 1977

Ref. No. 74/Acq/Meerut/77-78.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Meerut on 21-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the isue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. S/Shri Kashmeri Lal, Kul Bushan Sons of Ram Parkash, Deopuri, Meerut Porp. M/s Sawah Cloth House, Bazar Bajaja, Meerut.

(Transferor)

2. Ram Swaroop, Sundar Lal, Narendra Kumar Sons of Deewan Chand, Prahlad Nagar, Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of double storied Shc 384-385, situated at Bazar Bajaja, Meerut, transferred : apparent consideration of Rs. 40,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date: 27-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 30th August 1977

Ref No. 24-A/Acq/Q/Saharanpur/77-78/2693—Whereas, I, R. P. BHARGAVA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at As per Schedule

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 3-12-1976

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Shri Rishi Kumar Gupta, Advocate son of Lala Mam Chand, R/o Madho Nagar Colony, Saharanpur.

(Transferor)

2. S/Shri Prakash Chand son of Mukandi Lal, Smt. Shiksha Devi W/o Sadhu Ram, Smt. Uma Rani W/o Shrawan Kumar all Residents of Vill. Bartha Kayastha, P. O. Khas, Parg. Sultanpur, Teh. Nakur, Distt. Saharanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property as per details given in Column No. 3 of document No. 3720 dated 30.11.76 situated in Madho Nagar, Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 75,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 30-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 30th August 1977

Ref. No. 102/Acq Dehradun/77-78.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at as per schedule
(and more full described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 22-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

1. Group Captain Ajoy Kumar Bose Son of Late Shri N. R. Bose, R/o Clement Town, Dehradun.

(Transferor)

2. Smt. Ramla Chawla W/o Sujan Singh Chawla Dehradun.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 53 Camp Area (Old No. 154 Bharuwala) Clement Town Cantt. Distt. Dehradun, transferred for an apparent consideration of Rs. 62,400/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 30-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NAGPUR

Nagpur, the 20th August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/44/77-78.—Whereas, I, H. C. SHRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open Nazul Plot No. 11, Sheet No. 20-A, Dhantoli, Nagpur situated at Dhantoli Nagpur. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Nagpur on 5-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

1. The Nityanand Co-op. Housing Society Ltd. through its Secretary Shri. N. G. Deshpande, Raghoji Nagar, Nagpur.

(Transferor)

2. Shri. Sudhir Narendra Bhiwapurkar, C/o Bhiwapurkar's Nursing Home, Dhantoli, Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open Nazul Plot No. 11, Sheet No. 20-A, 10,000 Sqr. ft. Dhantoli, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Nagpur.

Date : 20-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 25th August 1977

Ref. No. 153-5/Acq. WHEREAS I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Corporation No. B-3/98, B-3 98-A, B-3/98B, B-3/132 & B-3/133 situated at Mohalla Shivala, Varanasi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 at Varanasi on 3-1-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Maharaja Kumar Singh Deo, Maharaja Bhushan Singh Deo, Yuvaraj Ram Vijay Pratap Singh Deo, Raj Kumar Vikramaditya Singh Deo.
(Transferor)

(2) Shri Pannalal Patel, Jash Bhai Patel, Kanti Bhai and Shantu Bhai Patel.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-3/98, B-3/98-A, B-3/98B, B-3/132 & B-3/133 situated at Mohalla Shivala, Varanasi.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisiton Range, Lucknow.

Date : 25-8-1977
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977